सत्यमेव जयते

जिला राजस्व समन्वय बैठक

डा0 बी0 राजेन्दर,भा0प्र0से0,समाहर्त्ता मधुबनी की अध्यक्षता में
दिनांक 11, 14 एवं 16 दिसम्बर 2002 को अनुमंडल स्तर पर आहूत अंचल अधिकारियों की बैठक की कार्यवाही।

श्री रमेश मिश्र, **बि0प्र0से0** **प्र0 उप समाहर्त्ता जि0 रा0** **मधुबनी**	**श्री सुनील कुमार सिन्हा,** **बि0प्र0से0** **अपर समाहर्त्ता** **मधुबनी**	**डा0 बी0 राजेन्दर,** **भा0प्र0से0** **समाहर्त्ता** **मधुबनी**

विषय सूची

क्रमाक	विषय	पृष्ठ सं0
1	उपस्थिति/बैठक का उद्देदय/हल्का कचहरी	1
2	अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम/भ्रमण दैनन्दनी	2
3	हल्का से संवंधित सूचनाऐं/साप्ताहिक बैठक/हल्का निरीक्षण	3
4	भू लगान	4 – 5
5	सैरात वंदोवस्ती	6 – 7
6	सैरात वसूली	8 – 10
7	व्यवसायिक लगान	11–12
8	भूहदवंदी	12 – 14
9	गैरमजरूआ आम/जनता दरवार	15 – 17
10	खाता पुस्तिका/वाद से संबंधित	18 – 19
11	बी0पी0एच0टी0	20 – 21
12	अतिक्रमण	21– 22
13	दाखिल खरीज/न्यूनतम मजदूरी	23 – 25
14	बंधुआ मजदूरी/भूदान मामले	26 – 27
15	बटाइदारी/साहुकार अधिनियम	28 – 30
16	वेदखली/अंकेक्षण/सहाय्य	31 – 32
17	निलाम पत्र/रोकड़ वही/न्यायालय संबंधी प्रतिवेदन	33
18	सेवा नि0 कर्म0 से संबंधित प्रतिवेदन/विधान सभा, विधान परिषद् प्रश्न/आवश्यक निर्देश	34
19	रैकिंग	35 – 37
20	सुझाव/हमारा संकल्प	38 – 40
21	कृषि संख्यिकी	40 – 45

1.उपस्थिति

अंचल अधिकारी रहिका सह राजनगर बेठक से अनुपस्थित रहे, अतः उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे 14/12/2002 को बिस्फी अंचल एवं 16/12/2002 को खुटौना अंचल में होनेवाली बैठक में निश्चित रूप से भाग लें। श्री अशर्फी पासवान, राजस्व कर्मचारी बाबुबरही,श्री योग ना0 झा,कर्मचारी बाबुबरही,श्री निवास,अ0नि0,बासोपट्टी एवं श्री सुशील यादव,अं0अमीन पंडौल बिना सूचना के अनुपस्थित रहे है, अतः संबंधित अंचल अधिकारी उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से अपने मंतव्य के साथ भेजेंगे ताकि उनके विरूद्ध अनुसाशनिक कार्रवाई की जा सके। श्री विजय कुमार पाठक, अं0नि0,राजनगर द्वारा किसी प्रकार का प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया। कुछ भ्रामक सूचनाएँ / प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया जो अनुचित है, अंचल अधिकारी उनसे स्पष्टीकरण प्राप्तकर अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से अनुशंसा के साथ भेजेंगे ताकि उनके विरूद्ध अनुसाशनिक कार्रवाई की जा सके।

2. बैठक का उद्देश्य

अनुमंडल स्तर पर राजस्व संबंधी समीक्षात्मक बैठक करने का मुख्य उद्देश्य है –

- राजस्व प्रशासन को चुस्त–दुरूस्त करना ।
- राजस्व कार्यो का सही ढ़ंग से अनुश्रवण करना ।
- सरकारी राजस्व में बृद्धि करना ।
- भूमि विवाद का स्थायी समाधान निकालना ।
- राजस्व कर्मचारी जो सभी राजस्व कार्यकमों के कार्यान्वयन हेतु मूल स्तम्भ है ,को संवेदनशील बनाना ।

3.हल्का कचहरी

सभी अंचलो से सूचनाएँ प्राप्त हो चुकी है। प्रभारी पदाधिकारी जिला राजस्व को निर्देश दिया जाता है कि अंचलवार/हल्कावार सूचनाएँ कम्प्यूटर में फिड कराकर समेकित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में तैयार करें एवं उसकी एक एक प्रति सभी अनुमंडल पदाधिकारी/ अंचल अधिकारी/अंचल निरीक्षक/राजस्व कर्मचारी को एक माह के अंदर उपलब्ध करा दें।

4. अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम एवं भ्रमण दैनन्दनी

➢**अग्रिम भ्रमण कार्यकम** – भ्रमण कार्यकम बनाते समय यह ध्यान देंगे कि हल्का के अन्तर्गत प्रत्येक पंचायत भवन में हल्का कर्मचारी सप्ताह में कम से कम एक दिन अवश्य बैठेंगे। जिन हल्का कर्मचारी को ग्राम पंचायत का सचिव भी नियुक्त किया गया है वे पूर्वाहन में उक्त पंचायत भवन में सचिव के कार्यो का संपादन करेंगे एवं अपराहन में राजस्व ग्राम में भ्रमण कार्यकम के अनुसार भ्रमण करेंगे। अं0 नि0 भी अपना अग्रिम भ्रमण कार्यकम/भ्रमण दैनन्दनी समर्पित करेंगे। बार – बार निदेश दिये जाने के बाद भी मात्र अनुमंडल पदाधिकारी,सदर/जयनगर/फुलपरास/उप समाहर्त्ता भू0सु0 सदर/अंचल अधिकारी,फुलपरास/घोघरडीहा/खुटौना/रहिका/राजनगर/बाबुबरही/जयनगर/हरलाखी/मधवापुर और अंचल निरीक्षक झंझारपुर/घोघरडीहा द्वारा ही समर्पित किया गया है, शेष सभी से अप्राप्त है। अंचल अधिकारी उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर भेजेंगे एवं भविष्य में सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा नियमित रूप से समर्पित किया जा रहा है।

भ्रमण दैनन्दनी:– इस माह में कुछ ही रा0 कर्म0/अं0 नि0 द्वारा भ्रमण दैनन्दनी समर्पित किया गया है , जो दुःखद स्थिति का द्योतक है। सभी अं0 अ0 को निदेश दिया जाता है कि अगली बैठक से भ्रमण दैनन्दनी की एक प्रति लाना सुनिश्चित करेंगे। जो हल्का कर्मचारी/अं0 नि0 नियमित रूप से भ्रमण दैनन्दनी उपलब्ध नहीं कराते है, उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

➢इस माह में कुछ ही अंचल अधिकारी द्वारा अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम समर्पित किया गया है, जो दुखद है। निदेश दिया जाता है कि अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम एवं भ्रमण दैनिन्दनी नियमित रूप से भेजें।

	जिला - मधुबनी		*अनुमंडल - ------------------------*			*अंचल ---------------*		*हल्का----------------*				
दि0	जिस गॉव का	किया गया कार्य										
	भ्रमण किया गया उसका नाम	कुल लगान वसूली की गई राशि	कितने दाखिल खारिज वादों में जॉच की गई	कितने बन्दोबस्तियों /बासगितपर्चा की जॉच की गई	खेसरा सं0 जहॉं खेसरा पंजी संग्रहण का कार्य किया गया	खेसरा सं0 जहॉं अतिकमण का कार्य किया गया	व्यवसायिक लगान हेतु जॉच किये गये वादों की सं0	भौतिक सत्यापन किये गये सैरातों की संख्या	कोई अन्य कार्य	हल्का कर्मचारी का हस्ताक्षर	अंचल निरीक्षक का सत्यापन	अंचल अधिकारी की अम्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

कृ0 पृ0 उ0

5. हल्का से संबंधित सामान्य सूचनाएँ

प्रत्येक हल्का कर्मचारी अपने हल्का से संबंधित सामान्य सूचनाएँ संधारित करेंगे :–
अभी तक लखनैार,खजौली,बाबुबरही,विस्फी,राजनगर, अंचलों से सूचनाएँ अप्राप्त हैं, उन्हें निर्देश दिया जाता है कि 31.12.2002 तक विहित प्रपत्र में सूचना भेजना सुनिश्चित करेंगे। यह अंतिम तिथि होगी।

6. साप्ताहिक बैठक

➢सभी अंचल अधिकारी साप्ताहिक बैठक में उन सभी विन्दुओं पर समीक्षा करेंगे जिन विन्दुओं पर अनुमंडलीय स्तर पर आयोजित बैठक में समीक्षा की जाती है, एवं उक्त बैठक की कार्यवाही की एक प्रति भूमि सुधार उप समाहर्ता/ अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला राजस्व प्रशाखा को निश्चित रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे। साप्ताहिक बैठक में हल्कावार लक्ष्य एवं उपलब्धि की समीक्षा निश्चित रूप से की जाए।

➢सभी अंचल अधिकारी प्रत्येक माह के 5 तारीख तक विहित प्रपत्र में प्रगति प्रतिवेदन एवं अनुपालन प्रतिवेदन जिला राजस्व प्रशाखा को उपलब्ध करा देगें। अंचलों से प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित समय सीमा के अंदर प्राप्त नहीं हुआ है जो चिन्ताजनक स्थिति है। अंचलों से अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है परंतु न तो प्रतिवेदन पूर्ण ही है और न ही गुनवत्ता ही अच्छी है, अतः उनके नाम से स्पष्टीकरण पूछा जाय। अपर समाहर्त्ता इस हेतु प्रारूप शीघ्र उपस्थापित करेंगे।

➢समीक्षा के दौरान पाया गया कि अंचल स्तर पर जो साप्ताहिक बैठक की जा रही है, वह मात्र खानापूरी की जा रही है। अतः निर्देश दिया जाता है कि सभी विन्दुओं पर विस्तार से विन्दुवार समीक्षा कर कार्यवाही की एक प्रति अनु0 पदाधिकारी एवं एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भेजेंगे । साप्ताहिक बैठक की समीक्षा अं0अ0 द्वारा अपने स्तर से की जायेगी । अनुमंडल पदाधिकारी भी साप्ताहिक बैठक में भाग लेकर प्रगति की समीक्षा करेंगे।

➢अभी तक जयनगर,लौकही,अंधराठाढी,विस्फी,हरलाखी,मधवापुर,झंझारपुर,मधेपुर,खुटौना अंचल से द्वारा ही माह नवम्बर 2002 में की गई सप्ताहिक बैठक की कार्यवाही जिला कार्यालय को प्राप्त हुइ है, शेष अंचल से अप्राप्त है। अतः बैठक की कार्यवाही जिला कार्यालय को नियमित रूप भेजी जाय।

➢मात्र कुछ ही अंचलों द्वारा साप्ताहिक बैठक की पंजी उपस्थापित की गई जो चिन्ता का विषय है। अतः सभी अंचल निरीक्षक साप्ताहिक बैठक की पंजी अगली बैठक से लाना सुनिश्चित करेंगे।

7. हल्का निरीक्षण

➢अभी तक नवम्बर माह में मात्र अंचल निरीक्षक पंडौल,झंझारपुर,अंधराठाढ़ी,हरलाखी,जयनगर,घोघरडीहा,खुटौना एवं श्री प्रमोद कुमार साह,राजस्व कर्म0 से इस माह में निरीक्षण टिप्पणी प्राप्त है। शेष द्वारा नहीं किया गया है जो चिन्ता का विषय है। अं0 अ0 संबंधित रा0कर्म0/अं0 नि0 से स्पष्टीकरण प्राप्त कर अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से भेजवाना सुनिश्चित करें।

➢समीक्षा के दौरान पाया गया कि अभी अंचल अधिकारी जयनगर, हरलाखी ,बेनीपट्टी ,पंडौल, अंचल अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय का निरीक्षण किया गया है। शेष द्वारा नहीं किया गया है। यही कारण है कि अंचल निरीक्षक एवं रा0 कर्मचारी में अपने अधीनस्थ हल्कों के निरीक्षण हेतु अभिरूची पैदा नहीं हो रही है। अतएव निर्देश दिया जाता है कि सभी अंचल अधिकारी, बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली 52 एवं 80 के अनुसार नियमित रूप से अपने अंचल का निरीक्षण सुनिश्चित करेंगे ताकि अं0 नि0 एवं रा0 कर्म0 उनका अनुशरण करें।

भू–लगान वसूली

क्रमांक	अंचल का नाम	मांग			गत माह की वसूली			वर्तमान माह की वसुली			कुल वसुली			प्रतिशत	अभ्युक्ति
		बकाया	हाल	कुल	बकाया	हाल	कुल	बकाया	हाल	कुल	बकाया	हाल	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	रहिका	9,796.00	239,129.00	248,925.00	9,796.00	122,684.20	132,480.20	0.00	32,844.00	32,844.00	9,796.00	155,418.20	165214.20	66.37%	असंतोष प्रद
2	पंडौल	1,122.70	238,480.20	239,602.90	1,122.70	125,271.20	126,393.90	0.00	21,657.00	21,657.00	1,122.70	146,928.20	148050.90	61.79%	असंतोष प्रद
3	राजनगर	113,976.40	320,576.05	434,552.45	48,131.70	98,570.30	146,702.00	2,231.90	4,893.20	7,125.10	50,363.60	103,463.50	153827.10	35.39%	असंतोष प्रद
4	खजौली	104,270.00	302,530.00	406,800.00	36,171.00	84,737.43	120,908.43	4,510.00	12,385.00	16,895.00	40,681.00	97,122.45	137803.45	33.87%	असंतोष प्रद
5	बाबुबरही	24,570.11	328,247.42	352,817.53	11,488.25	98,026.25	109,514.50	1,700.00	4,500.00	6,200.00	13,188.25	102,526.25	115714.50	32.79%	असंतोष प्रद
योग		253,735.21	1,428,962.67	1,682,697.88	106,709.65	529,289.38	635,999.03	8,441.90	76,279.20	84,721.10	115,151.55	605,458.60	720610.15	42.82%	V
6	झंझारपुर	38,081.54	220,233.42	258,314.96	7,164.65	56,058.17	63,222.82	2,390.00	15,541.31	17,931.31	9,554.65	71,599.48	81154.13	31.41%	असंतोष प्रद
7	मधेपुर	11,595.90	179,548.76	191,144.66	11,595.90	81,994.10	93,590.00	0.00	30,654.00	30,654.00	11,595.90	112,648.10	124244.00	64.99%	असंतोष प्रद
8	लखनौर	8,946.75	64,866.50	73,813.25	1,386.95	16,974.95	18,361.90	5,010.35	18,216.65	23,227.00	6,397.30	35,191.60	41588.90	56.34%	असंतोष प्रद
9	अंधराठाढ़ी	11,850.89	184,500.14	196,351.03	2,648.70	50,638.10	53,286.80	1,143.65	15,382.90	16,526.55	3,792.35	66,021.00	69813.35	35.55%	असंतोष प्रद
योग		70,475.08	649,148.82	719,623.90	22,796.20	205,665.32	228,461.52	8,544.00	79,794.86	88,338.86	31,340.20	285,460.18	316800.38	44.02%	IV
10	बेनीपट्टी	17,928.75	262,290.43	280,219.18	16,107.80	133,831.50	149,939.30	1,820.95	26,612.40	28,433.35	17,928.75	160,445.90	178374.65	63.65%	असंतोष प्रद
11	बिस्फी	4,992.45	161,779.55	166,772.00	4,088.50	64,944.75	69,033.25	0.00	28,459.40	28,459.40	4,088.50	93,404.15	97492.65	58.43%	असंतोष प्रद
12	मधवापुर	0.00	154,331.50	154,331.50	0.00	61,508.65	61,508.65	0.00	14,683.50	14,683.50	0.00	76,192.15	76192.15	49.36%	असंतोष प्रद
13	हरलाखी	1,031.95	161,022.80	162,054.75	698.00	87,908.00	37,748.00	0.00	23,509.00	23,509.00	698.00	111,417.00	112115.00	69%	असंतोष प्रद
योग		23,953.15	739,424.28	763,377.43	20,894.30	348,192.90	369,087.20	1,820.95	93,264.30	95,085.25	22,715.25	441,459.20	464174.45	60.80%	II
14	जयनगर	1,734.21	194,608.74	196,342.95	285.40	97,721.00	98,006.40	619.95	25,069.10	25,689.05	905.35	122,790.10	123695.45	62.99%	असंतोष प्रद
15	बासोपट्टी	33,486.90	189,077.50	222,564.40	15,977.40	82,967.75	98,945.15	4,931.15	31,409.41	36,340.56	20,908.55	114,377.16	135285.71	60.78%	असंतोष प्रद
16	लदनियाँ	34,019.52	299,058.10	333,077.62	9,342.20	47,556.20	56,898.40	1,644.00	16,854.60	18,498.60	10,986.20	64,410.80	75397.00	22.63%	असंतोष प्रद
योग		69,240.63	682,744.34	751,984.97	25,605.00	228,244.95	253,849.95	7,195.10	73,333.11	80,528.21	32,800.10	301,578.06	334378.16	44.46%	III
17	फुलपरास	125,764.40	146,823.98	272,588.38	116,437.60	21,711.80	138,149.40	9,327.40	16,181.00	25,508.40	125,764.40	37,892.80	163657.20	60.03%	असंतोष प्रद
18	घोघरडीहा	112,031.75	129,319.70	241,351.45	62,711.50	35,946.50	98,658.00	31,997.00	17,336.00	49,333.00	94,668.50	53,282.50	147951.00	61.30%	असंतोष प्रद
19	खुटौना	1,926.84	228,007.35	229,934.19	1,487.05	90,817.45	92,304.50	89.00	33,252.50	33,341.50	1,576.05	124,069.95	125646.00	54.64%	असंतोष प्रद
20	लौकही	36,260.72	190,637.68	226,898.40	22,788.00	71,803.00	94,591.00	4,371.00	17,679.00	22,050.00	27,159.00	89,482.00	116641.00	51.40%	असंतोष प्रद
योग		275,983.71	694,788.71	970,772.42	203,423.55	220,278.75	423,702.30	53,042.90	84,448.50	137,491.40	249,167.95	304,727.25	553895.20	41.05%	I
कुल योग		693,387.78	4,195,068.82	4,888,456.60	379,428.70	1,531,671.30	1,911,100.00	79,044.85	407,119.97	486,164.82	451,175.05	1,938,683.29	2389858.34	48.88%	असंतोष प्रद

8. भू–लगान वसूली

➤भू लगान की वसूली युद्ध स्तर पर की जाय एवं इस माह में कम–से–कम 80 प्रतिशत की वसूली सुनिश्चित की जाय ।

➤सभी अंचल अधिकारी अगली बैठक में कोषागार चलान/नाजिर रसीद की छाया प्रति भी अवलोकनार्थ उपस्थापित करेंगे। पंडौल अंचल के कृष्ण कुमार का 79 प्रतिशत की वसूली है जो सराहनीय प्रयास है। मधवापुर अंचल के रा0 कर्म0 हल्का न0 5 द्वारा लगान वसूली की प्रगति 8% है, जो उनके कार्य के प्रति उदासीनता का द्योतक है। श्री श्याम किशोर ठाकुर द्वारा 75 प्रतिशत की वसूली की गई है जो अन्य राजस्व कर्मचारियों के लिए अनुकरणीय है। लदनियाँ अंचल की वसूली बहुत कम है जो चिन्ताजनक है। अतः वसूली में तीव्रता लायी जाय। अगले माह तक कम से कम 80 प्रतिशत की वसूली की जाय। वसूली गई राशि जबतक कोषागार/अंचल नजारत में जमा नही कर दी जाती है तब तक उसे वसूली नहीं माना जाएगा

➤निम्नांकित प्रपत्र में कम्पाईलेशन शीट तैयार कर, अभियान के तौर पर मॉग को अद्यतन करेंगे क्योंकि प्रथम दृष्ट्या हल्कों में मॉग छिपाया हुआ प्रतीत होता हैं।

कम्पाइलेशन शीट का प्रपत्र

अंचल का नाम :--------------- ***गॉव का नाम :-----------*** ***तौजी नम्बर :-----------***

क्र०	मौजा का नाम	जमाबन्दी सं०	जमीन्दार का नाम	पिता का नाम	पता	खाता सं०	खेसरा सं०	रकबा	चौहद्दी	लगान की राशि	मांग वर्ष	लगान		शेष		शिक्षा	
											02–03	हाल	बकाया	हाल	बकाया	हाल	बकाया
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

स्वास्थ्य		कृषि		योग		कुल योग
हाल	बकाया	हाल	बकाया	हाल	बकाया	
19	20	21	22	23	24	25

➤कम्पाइलेशन शीट तैयार करने हेतु इस माह के लिए प्रथम प्राथमिकता बिन्दु निर्धारित की जाती है। इस हेतु अंचल अधिकारी अंचल स्तर पर टी0 सी0 पी0 सेन्टर में शिविर आयोजित कर कम्पाइलेशन शीट तैयार करावें। अंचल अधिकारियों विशेष की मॉग पर 31 दिसम्वर तक अंतिम समय सीमा निर्धारित की जाती है। अगली बैठक में हल्का वार/मौजा वार चार प्रति में तैयार करेंगे एक प्रति हल्का,एक प्रति अंचल,एक प्रति अनुमंडल एवं एक प्रति जिला कार्यालय के लिए पूर्ण प्रतिवेदन अलग से लूज शीट में समर्पित करेंगे।

➤राशि की वसूली राउन्ड फिगर में किया जाय। सभी हल्का कर्मचारी सप्ताहिक बैठक के दिन विगत सप्ताह वसूल की गई राशि अंचल नजारत में जमा कर नाजिर से रसीद प्राप्त कर लेंगे। नजारत में जमा राशि को एक सप्ताह के अन्दर कोषागार में जमा कर दी जाएगी। एक सप्ताह से ज्यादा दिन वसूली गई राशि हल्का कर्मचारी के पास रहने पर अस्थाई गवन माना जाएगा।

➤जिस हल्का कर्मचारी की वसूली अंचल के औसत से कम है, अंचल अधिकारी उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपने मन्तवय के साथ अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से दो दिनों के अन्दर भेजेंगे। साथ ही उनके विरूद्ध प्रपत्र "क" तैयार कर भी भेजेंगे ताकि विभागीय कार्रवाई प्रारम्भ की जा सके।

➤साप्ताहिक बैठक में राजस्व वसूली प्रगति की समीक्षा के साथ साथ यह भी समीक्षा करेंगे कि अंचल निरीक्षक के व्यक्तिगत प्रयास से कितनी प्रगति हुई है। अं0 नि0 का अलग से मूल्यांकन कर प्रतिवेदित करेंगे।

➤जिस अंचल की वसूली जिला के औसत से कम है, अनुमंडल पदाधिकारी संबंधित अंचल अधिकारी से स्पटीकरण प्राप्त कर अपने मन्तव्य के साथ एक सप्ताह कें अंदर भेजेंगे। साथ ही अपर समाहर्त्ता, संबंधित अं0 अ0 के विरूद्ध प्रपत्र "क" तैयार कर समर्पित करेंगे।

सैरात वन्दोवस्ती

क्रमांक	प्रकार	अंचल का नाम	सैरातो की कुल संख्या	बंदोबस्त सैरातो की संख्या	परता घोषित सैरातो की संख्या	स्तम्भ 5 एवं 6 का योग	बन्दोबस्ती हेतु लंबित	प्रतिशत	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अक्तुवर श्रेणी	रहिका	177	175	0	175	2	98.00%	संतोषप्रद
	अप्रिल श्रेणी	रहिका	16	10	6	16	0	100.00%	संतोषप्रद
	योगः–		193	185	6	191	2	98.00%	संतोषप्रद
2	अक्तुवर श्रेणी	पंडौल	85	44	0	44	41	51.00%	असंतोषप्रद
	अप्रिल श्रेणी	पंडौल	17	15	0	15	2	88.00%	असंतोषप्रद
	योगः–		102	59	0	59	43	58.00%	असंतोषप्रद
3	अक्तुवर श्रेणी	राजनगर	25	22	0	22	3	88.00%	असंतोषप्रद
	अप्रिल श्रेणी	राजनगर	11	5	6	11	0	100.00%	संतोषप्रद
	योगः–		36	27	6	33	3	91.00%	संतोषप्रद
4	अक्तुवर श्रेणी	खजौली	158	137	0	137	21	86.00%	असंतोषप्रद
	अप्रिल श्रेणी	खजौली	30	23	7	30	0	100.00%	संतोषप्रद
	योगः–		188	160	7	167	21	88.00%	असंतोषप्रद
5	अक्तुवर श्रेणी	बाबुबरही	17	15	0	15	2	88.00%	असंतोषप्रद
	अप्रिल श्रेणी	बाबुबरही	5	5	0	5	0	100.00%	संतोषप्रद
	योगः–		22	20	0	20	2	90.00%	संतोषप्रद
	कुल योगः–		541	451	19	470	71	86.00%	III
6	अक्तुवर श्रेणी	झंझारपुर	246	196	0	196	50	89.00%	असंतोषप्रद
	अप्रिल श्रेणी	झंझारपुर	36	2	33	35	1	97.00%	संतोषप्रद
	योगः–		282	198	33	231	51	81.00%	असंतोषप्रद
7	अक्तुवर श्रेणी	मधेपुर	24	21	0	21	3	87.00%	असंतोषप्रद
	अप्रिल श्रेणी	मधेपुर	11	2	0	2	9	18.00%	असंतोषप्रद
	योगः–		35	23	0	23	12	65.00%	असंतोषप्रद
8	अक्तुवर श्रेणी	लखनौर	46	44	1	45	1	97.00%	संतोषप्रद
	अप्रिल श्रेणी	लखनौर	6	2	4	6	0	100.00%	संतोषप्रद
	योगः–		52	46	5	51	1	98.00%	संतोषप्रद
9	अक्तुवर श्रेणी	अंधराठाढ़ी	41	41	0	41	0	100.00%	संतोषप्रद
	अप्रिल श्रेणी	अंधराठाढ़ी	25	5	20	25	0	100.00%	संतोषप्रद
	योगः–		66	46	20	66	0	100.00%	संतोषप्रद
	कुल योगः–		435	313	58	371	64	85.00%	IV
10	अक्तुवर श्रेणी	बेनीपट्टी	49	44	0	44	5	89.00%	असंतोषप्रद
	अप्रिल श्रेणी	बेनीपट्टी	3	2	1	3	0	100.00%	संतोषप्रद
	योगः–		52	46	1	47	5	90.00%	संतोषप्रद

11	अक्तुवर श्रेणी	बिस्फी	117	105	0	105	12	89.00%	असंतोषप्रद
	अप्रिल श्रेणी	बिस्फी	0	0	0	0	0	0.00%	असंतोषप्रद
	योगः–		117	105	0	105	12	89.00%	असंतोषप्रद
12	अक्तुवर श्रेणी	मधवापुर	6	6	0	6	0	100.00%	संतोषप्रद
	अप्रिल श्रेणी	मधवापुर	8	4	4	8	0	100.00%	संतोषप्रद
	योगः–		14	10	4	14	0	100.00%	संतोषप्रद
13	अक्तुवर श्रेणी	हरलाखी	12	10	2	12	0	100.00%	संतोषप्रद
	अप्रिल श्रेणी	हरलाखी	14	3	11	14	0	100.00%	संतोषप्रद
	योगः–		26	13	13	26	0	100.00%	संतोषप्रद
	कुल योगः–		209	174	18	192	17	91.00%	II
14	अक्तुवर श्रेणी	जयनगर	86	75	0	75	11	87.00%	असंतोषप्रद
	अप्रिल श्रेणी	जयनगर	15	8	6	14	1	93.00%	संतोषप्रद
	योग :–		101	83	6	89	12	88.00%	असंतोषप्रद
15	अक्तुवर श्रेणी	बासोपटट्टी	35	33	0	33	2	94.00%	संतोषप्रद
	अप्रिल श्रेणी	बासोपटट्टी	5	5	0	5	0	100.00%	संतोषप्रद
	योगः–		40	38	0	38	2	95.00%	संतोषप्रद
16	अक्तुवर श्रेणी	लदनियाँ	104	102	0	102	2	98.00%	संतोषप्रद
	अप्रिल श्रेणी	लदनियाँ	0	0	0	0	0	0.00%	असंतोषप्रद
	योगः–		104	102	0	102	2	98.00%	संतोषप्रद
	कुल योगः–		245	223	6	229	16	93.00%	I
17	अक्तुवर श्रेणी	फुलपरास	10	10	0	10	0	100.00%	संतोषप्रद
	अप्रिल श्रेणी	फुलपरास	4	2	0	2	2	50.00%	असंतोषप्रद
	योगः–		14	12	0	12	2	86.00%	असंतोषप्रद
18	अक्तुवर श्रेणी	घोघरडीहा	10	8	0	8	2	80.00%	असंतोषप्रद
	अप्रिल श्रेणी	घोघरडीहा	0	0	0	0	0	0.00%	असंतोषप्रद
	योगः–		10	8	0	8	2	80.00%	असंतोषप्रद
19	अक्तूवर श्रेणी	खुटौना	13	9	0	9	4	69.00%	असंतोषप्रद
	अप्रिल श्रेणी	खुटौना	4	3	1	4	0	100.00%	संतोषप्रद
	योगः–		17	12	1	13	4	76.00%	असंतोषप्रद
20	अक्तुवर श्रेणी	लौकही	25	24	0	24	1	96.00%	संतोषप्रद
	अप्रिल श्रेणी	लौकही	0	0	0	0	0	0.00%	असंतोषप्रद
	योगः–		25	24	0	24	1	96.00%	असंतोषप्रद
	कुल योगः–		66	56	1	57	9	86.00%	IV
	अक्टूबर श्रेणी कुल		1286	1121	3	1124	162	87.00%	
	अप्रील श्रेणी कुल		210	96	99	195	15	92.00%	
	जिला योगः–		1496	1217	102	1319	177	88.00%	

सैरात वसूली

क्रमांक	प्रकार	अंचल का नाम	माँग वर्ष 2001–2002			गत माह की वसूली			वर्तमान माह की वसूली			कुल वसूली			प्रतिशत	अभ्युक्ति
			बकाया	हाल	कुल	बकाया	हाल	कुल	बकाया	हाल	कुल	बकाया	हाल	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	अक्तुवर श्रेणी	रहिका	259225.00	62265.00	321490.00	179539.00	715.00	18254.00	79686.00	61550.00	141236.00	259225.00	62265.00	321490.00	100.00%	संतोषप्रद
	अप्रिल श्रेणी	रहिका	0.00	2482.00	2482.00	0.00	2482.00	2482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2482.00	2482.00	100.00%	संतोषप्रद
	योग:–		259225.00	64747.00	323972.00	179539.00	3197.00	182736.00	79686.00	61550.00	141236.00	259225.00	64747.00	323972.00	100.00%	संतोषप्रद
2	अक्तुवर श्रेणी	पंडौल	570520.00	399130.00	969650.00	372481.00	31857.00	404338.00	0.00	82030.00	82030.00	372481.00	113887.00	486368.00	50.15%	असंतोषप्रद
	अप्रिल श्रेणी	पंडौल	71502.00	9110.00	80612.00	0.00	9110.00	9110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9110.00	9110.00	11.30%	असंतोषप्रद
	योग:–		642022.00	408240.00	1050262.00	372481.00	40967.00	413448.00	0.00	82030.00	82030.00	372481.00	122997.00	495478.00	47.17%	असंतोषप्रद
3	अक्तुवर श्रेणी	राजनगर	0.00	83500.00	83500.00	0.00	31777.00	31777.00	0.00	4348.00	4348.00	0.00	36125.00	36125.00	43.26%	असंतोषप्रद
	अप्रिल श्रेणी	राजनगर	0.00	4528.00	4528.00	0.00	4528.00	4528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4528.00	4528.00	100.00%	संतोषप्रद
	योग:–		0.00	88028.00	88028.00	0.00	36305.00	36305.00	0.00	4348.00	4348.00	0.00	40653.00	40653.00	46.18%	असंतोषप्रद
4	अक्तुवर श्रेणी	खजौली	70565.00	257778.00	328343.00	0.00	56781.00	56781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56781.00	56781.00	17.29%	असंतोषप्रद
	अप्रिल श्रेणी	खजौली	76425.00	97411.00	173836.00	0.00	97411.00	97411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97411.00	97411.00	56.03%	असंतोषप्रद
	योग:–		146990.00	355189.00	502179.00	0.00	154192.00	154192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154192.00	154192.00	30.70%	असंतोषप्रद
5	अक्तुवर श्रेणी	बाबुबरही	0.00	23368.00	23368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23368.00	23368.00	0.00	23368.00	23368.00	100.00%	संतोषप्रद
	अप्रिल श्रेणी	बाबुबरही	56114.00	3595.00	59709.00	0.00	3595.00	3595.00	28057.00	0.00	28057.00	28057.00	3595.00	31652.00	53.01%	असंतोषप्रद
	योग:–		56114.00	26963.00	83077.00	0.00	238256.00	3595.00	28057.00	23368.00	51425.00	28057.00	26963.00	55020.00	66.22%	असंतोषप्रद
	कुल योग		1104351.00	943167.00	2047518.00	552020.00	197952.00	790276.00	107743.00	171296.00	279039.00	659763.00	409552.00	1069315.00	52.22%	I
6	अक्तुवर श्रेणी	झंझारपुर	912800.00	0.00	912800.00	8290.00	0.00	8290.00	6000.00	0.00	6000.00	14290.00	0.00	14290.00	15.65%	असंतोषप्रद
	अप्रिल श्रेणी	झंझारपुर	0.00	235.00	235.00	0.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	235.00	100.00%	संतोषप्रद
	योग:–		912800.00	235.00	913035.00	8290.00	235.00	8525.00	6000.00	0.00	6000.00	14290.00	235.00	14525.00	0.15%	असंतोषप्रद
7	अक्तुवर श्रेणी	मधेपुर	265232.00	148754.00	413986.00	24970.00	0.00	24970.00	0.00	58089.00	58089.00	24970.00	58089.00	83059.00	20.05%	असंतोषप्रद
	अप्रिल श्रेणी	मधेपुर	0.00	85947.00	85947.00	0.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25000.00	25000.00	29.08%	असंतोषप्रद
	योग:–		265232.00	234701.00	499933.00	24970.00	25000.00	49970.00	0.00	58089.00	58089.00	24970.00	83089.00	108059.00	21.61%	असंतोषप्रद
8	अक्तुवर श्रेणी	लखनौर	10572.00	249054.00	259626.00	10572.00	0.00	10572.00	0.00	99050.00	99050.00	10572.00	99050.00	109622.00	42.22%	असंतोषप्रद
	अप्रिल श्रेणी	लखनौर	0.00	980.00	980.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	100.00%	संतोषप्रद
	योग:–		10572.00	250034.00	260606.00	10572.00	980.00	11552.00	0.00	99050.00	99050.00	10572.00	100030.00	110602.00	42.44%	असंतोषप्रद
9	अक्तुवर श्रेणी	अंधराठाढ़ी	379948.00	184870.00	564818.00	0.00	106858.00	106858.00	53507.00	0.00	53507.00	53507.00	106858.00	160365.00	28.39%	असंतोषप्रद
	अप्रिल श्रेणी	अंधराठाढ़ी	6096.00	24170.00	30266.00	0.00	12210.00	12210.00	0.00	6400.00	6400.00	0.00	18610.00	18610.00	6.14%	असंतोषप्रद
	योग:–		386044.00	209040.00	595084.00	0.00	119068.00	119068.00	53507.00	6400.00	59907.00	53507.00	125468.00	178975.00	30.07%	असंतोषप्रद
	कुल योग		1574648.00	694010.00	2268658.00	43832.00	145283.00	189115.00	59507.00	163539.00	223046.00	103339.00	308822.00	412161.00	18.60%	V
10	अक्तुवर श्रेणी	बेनीपट्टी	0.00	301739.00	301739.00	0.00	135980.00	135980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135980.00	135980.00	45.06%	असंतोषप्रद

कृ० पृ० उ०

	अप्रिल श्रेणी	बेनीपटटीइ	0.00	720.00	720.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	100.00%	संतोषप्रद
	योगः–		0.00	302459.00	302459.00	0.00	136700.00	136700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136700.00	136700.00	45.59%	असंतोषप्रद
11	अक्तुवर श्रेणी	बिस्फी	211417.00	184330.00	395747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72828.00	72828.00	0.00	72828.00	72828.00	18.40%	असंतोषप्रद
	अप्रिल श्रेणी	बिस्फी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	असंतोषप्रद
	योगः–		211417.00	184330.00	395747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72828.00	72828.00	0.00	72828.00	72828.00	18.40%	असंतोषप्रद
12	अक्तुवर श्रेणी	मधवापुर	4217.00	27460.00	31677.00	0.00	27460.00	27460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27460.00	27460.00	86.68%	असंतोषप्रद
	अप्रिल श्रेणी	मधवापुर	76935.00	23002.00	99937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23002.00	23002.00	0.00	23002.00	23002.00	23.01%	असंतोषप्रद
	योगः–		81152.00	50462.00	131614.00	0.00	27460.00	27460.00	0.00	23002.00	23002.00	0.00	50462.00	50462.00	38.34%	असंतोषप्रद
13	अक्तुवर श्रेणी	हरलाखी	64134.00	65435.00	129569.00	3500.00	65435.00	68935.00	1500.00	0.00	1500.00	5000.00	65435.00	70435.00	50.50%	असंतोषप्रद
	अप्रिल श्रेणी	हरलाखी	207773.08	200.00	207973.08	16325.00	200.00	16525.00	0.00	0.00	0.00	16325.00	200.00	16525.00	7.94%	असंतोषप्रद
	योगः–		271907.08	65635.00	337542.08	19825.00	65635.00	85460.00	1500.00	0.00	1500.00	21325.00	65635.00	86960.00	25.76%	असंतोषप्रद
	कुल योग		564476.08	602886.00	1167362.08	19825.00	229795.00	249620.00	1500.00	95830.00	97330.00	21325.00	325625.00	346950.00	29.72%	IV
14	अक्तुवर श्रेणी	जयनगर	134656.00	186173.00	320829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180871.00	180871.00	0.00	180871.00	180871.00	56.37%	असंतोषप्रद
	अप्रिल श्रेणी	जयनगर	68002.00	6880.00	74882.00	0.00	6430.00	6430.00	0.00	450.00	450.00	0.00	6880.00	6880.00	9.18%	असंतोषप्रद
	योगः–		202658.00	193053.00	395711.00	0.00	6430.00	6430.00	0.00	181321.00	181321.00	0.00	187751.00	187751.00	47.44%	असंतोषप्रद
15	अक्तुवर श्रेणी	बासोपटटी	261140.00	140424.00	401564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46808.00	46808.00	0.00	46808.00	46808.00	11.65%	असंतोषप्रद
	अप्रिल श्रेणी	बासोपटटी	32548.00	1065.00	33613.00	0.00	1065.00	1065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1065.00	1065.00	3.11%	असंतोषप्रद
	योगः–		293688.00	141489.00	435177.00	0.00	1065.00	1065.00	0.00	46808.00	46808.00	0.00	47873.00	47873.00	11.00%	असंतोषप्रद
16	अक्तुवर श्रेणी	लदनियॉं	86214.00	163187.00	249401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145727.00	145727.00	0.00	145727.00	145727.00	58.83%	असंतोषप्रद
	अप्रिल श्रेणी	लदनियॉं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	असंतोषप्रद
	योगः–		86214.00	163187.00	249401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145727.00	145727.00	0.00	145727.00	145727.00	58.83%	असंतोषप्रद
	कुल योग		582560.00	497729.00	1080289.00	0.00	7495.00	7495.00	0.00	373856.00	373856.00	0.00	381351.00	381351.00	35.30%	II
17	अक्तुवर श्रेणी	फुलपरास	50940.00	59339.00	110279.00	6440.00	57182.00	63622.00	0.00	0.00	0.00	6440.00	59339.00	65779.00	79.64%	असंतोषप्रद
	अप्रिल श्रेणी	फुलपरास	0.00	2530.00	2530.00	0.00	2530.00	2530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2530.00	2530.00	100.00%	संतोषप्रद
	योगः–		50940.00	61869.00	112809.00	6440.00	59712.00	66152.00	0.00	0.00	0.00	6440.00	61869.00	68309.00	62.46%	संतोषप्रद
18	अक्तुवर श्रेणी	घोघरडीहा	0.00	14500.00	14500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14500.00	14500.00	0.00	14500.00	14500.00	100.00%	संतोषप्रद
	अप्रिल श्रेणी	घोघरडीहा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	असंतोषप्रद
	योगः–		0.00	14500.00	14500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14500.00	14500.00	0.00	14500.00	14500.00	100.00%	संतोषप्रद
19	अक्तुवर श्रेणी	खुटौना	0.00	21976.00	21976.00	0.00	10988.00	10988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10988.00	10988.00	50.00%	असंतोषप्रद
	अप्रिल श्रेणी	खुटौना	1100.00	8870.00	9970.00	1100.00	8870.00	9970.00	0.00	0.00	0.00	1100.00	8870.00	9970.00	100.00%	संतोषप्रद
	योगः–		1100.00	30846.00	31946.00	1100.00	19858.00	20958.00	0.00	0.00	0.00	1100.00	19858.00	20958.00	65.60%	असंतोषप्रद
20	अक्तुवर श्रेणी	लौकही	171162.00	111830.00	282992.00	33452.00	0.00	33452.00	6805.00	37266.00	44071.00	40257.00	37266.00	77523.00	27.39%	असंतोषप्रद
	अप्रिल श्रेणी	लौकही	272300.00	0.00	272300.00	48000.00	0.00	48000.00	0.00	0.00	0.00	48000.00	0.00	48000.00	17.62%	असंतोषप्रद
	योगः–		443462.00	111830.00	555292.00	81452.00	0.00	81452.00	6805.00	37266.00	44071.00	88257.00	37266.00	125523.00	22.60%	III
कुल योग			495502.00	219045.00	714547.00	88992.00	79570.00	168562.00	6805.00	56078.00	62883.00	95797.00	135648.00	231445.00	32.32%	
जिला योग			4321537.08	2956837.00	7278374.00	704669.00	700399.00	1405068.00	175555.00	860599.00	1036154.00	880224.00	1560998.00	2441222.00	33.54%	

9. सैरात वन्दोवस्ती/वसूली

➢हल्का स्तर पर सैरात पंजी का संधारण किया जाय, जिसमें अंचल स्तर के सैरात एवं एफ0एफ0डी0ए0 को हस्तानान्तरित सैरातों की विवरणी श्रेणीवार अंकित की जाय । सभी हल्का कर्म0 राजस्व विभाग ,मत्स्य विभाग के सैरातों की जॉच कर अगली बैठक में प्रतिवेदित करेंगे कि उनकी बन्दोबस्ती हुई है अथवा नहीं, मत्स्य विभाग को हस्तानान्तरित पोखर में मछली की जगह मखान तो नहीं लगाया जाता है। अभी तक **FFDA** के सैरातों का सत्यापन नहीं किया गय है, जो चिन्ताजनक हैं। अं0अ0 अगली बैठक में प्रमाण पत्र देंगे कि सभी सैरातों का भौतिक सत्यापन कर लिया गया है। सभी राजस्व कर्म0 अगली बैठक में सत्यापित सैरातों की पूर्ण विवरणी समर्पित करेंगे।

➢अंचल अधिकारी यह प्रयास करेंगे कि बन्दोबस्त सैरातों की राशि 1 या 2 किस्तों में ही वसूली कर ली जाय। यदि किसी कारणवश 31 मार्च तक पूर्ण राशि की वसूली नहीं हो पाती है तो उस राशि को अगले वर्ष के **Demand** में शामिल कर वसूली की कार्रवाई करें। नीलाम पत्र/छुट दावे की राशि अलग से प्रतिवेदित की जाय। हल्कावार मॉग एवं वसूली का प्रतिवेदन दें। वसूली हेतु अं0अ0/सभी हल्का कर्मचारी/जिम्मेवार होंगे।

➢वैसे सैरात जो खड़–पतवार से भर गये हैं,के उन्नयन/जीर्णोद्धार हेतु प्रस्ताव पंचायत समिति से पारित करवाकर अपनी अनुसंशा सहित प्राक्कलन के साथ अविलम्ब भेजेंगे। इस हेतु राशि राज्य सरकार से प्राप्त है।

➢जिन सैरातों का स्वरूप बदल गया है, उसकी फसली बन्दोबस्ती के लिए प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित करें।

➢सैरात बकाया राशि की वसूली हेतु पूरी तत्परता लाई जाय।

➢परता घोषित किये जाने वाले सैरातों का अभिलेख 31 दिसम्बर तक निश्चित रूप से भेज दिया जाय। जो सैरात परता चला आ रहा है,राजस्व हित में उसकी बन्दोबस्ती सुरक्षित जमा पर 3 वर्ष के लिए की जा सकती है। यदि मामला न्यायालय में चल रहा है और यदि न्यायालय का स्थगन आदेश प्राप्त नहीं हुआ है तो बन्दोबस्त की कार्रवाई की जाय। यदि स्थगन आदेश प्राप्त हो चुका है तो उसे मात्र एक वर्ष के लिए परता घोषित करने का प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ दें। न्यायालय से स्थगित सैरातों की पूर्ण विवरणी दें एवं शेष सैरातों की बन्दोवस्त पूर्ण कर 18/12/2002 तक अनुपालन प्रतिवेदन दें।

➢हाल की शत प्रतिशत वसूली 31 दिसम्बर तक सुनिश्चित करें। इस हेतु अं0अ0/अं0नि0 व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होगें।

➢अक्टूबर श्रेणी के सैरातों की सुरक्षित जमा निर्धारण का अभिलेख सभी अंचलों को भेज दिया गया है। सभी अंचल अ0 एकसप्ताहके अंदर बन्दोवस्ती सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन दें।

➢अंचल / **F.F.D.A** से संबंधित सैरातों की कम्प्यूटराईज सूची दे दी गई है ,परन्तु उसका भौतिक सत्यापन कर कुछ ही अंचलों से लौटाया गया है। संबंधित अंचल अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि सत्यापित सूची 2 दिनों के अंदर लौटाना सुनिश्चित करें।

कृ0 पृ0 उ0

3. व्यवसायिक लगान :-

क्रमांक	अंचल का नाम	कुल सर्वेक्षित मामलों की संख्या	प्रारंभ किये गये वादों की संख्या	निष्पादित वादों की संख्या	लम्बित वादों की संख्या	व्यवसायिक लगान निर्धारित वादों की संख्या	सन्निहित राशि का निर्धारन	वसूल की गयी राशि	प्रतिशत	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	रहिका	471	209	10	199	10	4491111.00	319.00	4%	हर हल्का में सन्निहित राशि मात्र दिखाया गया है।
2	पंडौल	358	191	24	167	24	47609.60	37459.85	12%	
3	राजनगर	147	122	47	75	47	21726.00	16784.00	38%	
4	खजौली	38	38	21	17	21	220673.50	5614.00	55%	
5	बाबुबरही	69	69	3	66	3	147721.00	4443.45	4%	
योग :-		1083	629	105	524	105	4928841.10	64590.30	16%	V
6	झंझारपुर	188	188	42	146	42	312175.00	3805.00	22%	नीलाम पत्र वाद दायर
7	मधेपुर	319	162	20	142	20	115538.80	13908.80	12%	
8	लखनौर	136	92	40	52	40	64304.00	3805.00	43%	
9	अंधराठाढ़ी	93	93	8	85	8	24400.00	0.00	8%	
योग :-		736	535	110	425	110	516417.80	21518.80	20%	III
10	बेनीपट्टी	146	146	86	60	86	339552.00	12053.50	58%	
11	बिस्फी	48	48	17	31	17	694825.00	2000.00	35%	
12	मधवापुर	106	106	15	91	15	41707.25	7187.25	14%	
13	हरलाखी	148	148	64	84	64	80632.80	17310.00	43%	
योग :-		448	448	182	266	182	1156717.05	38550.75	40%	I
14	जयनगर	186	186	56	130	56	1547761.20	10095.50	30%	
15	बासोपट्टी	339	94	5	89	5	25138.00	1296.00	5%	
16	लदनियाँ	116	116	15	101	15	10307.00	3227.00	12%	
योग :-		641	396	76	320	76	1583206.20	14618.50	19%	IV
17	फुलपरास	105	81	75	6	75	90700.00	1050.00	92%	
18	घोघरडीहा	290	290	32	258	32	699902.00	0.00	11%	
19	खुटौना	178	87	15	72	15	222450.00	2160.00	17%	
20	लौकही	233	233	45	188	45	23700.00	0.00	19%	
योग :-		806	691	167	524	167	1036752	3210	24%	II
कुल योग :-		3714	2699	640	2059	640	9221934.15	142488.35	23%	

10. व्यावसायिक लगानः–

➢व्यवसायिक लगान की प्रगति किसी भी अंचल में सतोषप्रद नहीं है। अभी तक सर्वेक्षण का कार्य भी पूर्ण नहीं किया जा सका है। हल्कावार प्रतिवेदन नहीं दिया गया है। जो चिन्ताजनक स्थिति है। सभी अंचल अधिकारी स्पष्टीकरण समर्पित करें।

➢31 दिसम्वर तक सर्वेक्षण का कार्य शत् प्रतिशत पूर्ण कर प्रमाण पत्र दें कि उनके हल्का में सर्वेक्षण का कार्य अवशेष नहीं है एवं सभी सर्वेक्षित प्रतिवेदनों का प्रस्ताव प्रपत्र – II में समर्पित कर दिया गया है। जो रा0 कर्म0 सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण नहीं करते है, प्रमाण पत्र नहीं देते है, तो अंचल अधिकारी उनके विरूद्ध प्रतिवेदित करें ताकि अनुशासनिक कार्रवाई की जा सके। इसके लिए अंचल अधिकारी एवं अंचल निरीक्षक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

➢सभी अनु0 पदा0/भू0सु0, उप समाहर्त्ता अपने स्तर से समीक्षा कर लंबित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करायेंगे।

➢सभी हल्का कर्म0 अगली बैठक में मॉग, वसूली एवं बकाया का प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

➢सभी अनुमंडल पदाधिकारी ब्यावसायिक लगान निर्धारण से संबंधित जितने भी अभिलेख/प्रस्ताव भेजे गये है उनका 30 दिसम्बर तक निष्पादन कर अं0अ0 को वापस करा देंगे ताकि वसूली की कार्रवाई की जा सकें।

➢अगली बैठक से इसमें मात्र वसूली की ही समीक्षा की जायेगी।

➢अनुमंडल पदाधिकारी, जयनगर द्वारा बताया गया कि ईट भट्ठा के जमीन पर व्यवसायिक लगान निर्धारण हेतु जो प्रस्ताव प्राप्त हो रहें है उनमें 4 – 6 कट्ठा जमीन का ही प्रस्ताव दिया जा रहा है, जबकि एक ईट भट्ठा चलाने हेतु कम से कम 2 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है । सभी अंचल अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस संबध में पूर्ण छान बीन कर समुचित प्रस्ताव समर्पित करें।

भू-हदबंदी के अंतर्गत भूमि का वितरण

(रकवा एकड़ में)

लाभान्वित परिवारों की संख्या

क्र0	अंचल का नाम	1/4/2001 तक बंदोबस्त भूमि का रकवा	अनु0 जाति संख्या	अनु0 जाति रकवा	अनु0 जनजाति संख्या	अनु0 जनजाति रकवा	सैनिक संख्या	सैनिक रकवा	पिछड़ा वर्ग संख्या	पिछड़ा वर्ग रकवा	महिला संख्या	महिला रकवा	विकलांग संख्या	विकलांग रकवा	अल्पसंख्यक संख्या	अल्पसंख्यक रकवा	अन्य संख्या	अन्य रकवा	कुल संख्या	कुल रकवा
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	रहिका	637.16	1138	580.63	-	-	-	-	27	0.78	50	24.9	-	-	-	-	56	20.85	1271	582.26
2	पंडौल	112.75	528	106.66	-	-	-	-	30	4.85	7	1.24	-	-	-	-	-	-	565	112.75
3	राजनगर	316.11	816	316.51	-	-	-	-	56	9.54	-	-	-	-	1347	47.8	18	3.6	10247	376.11
4	खजौली	378.84	828	283.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281	95.19	1109	378.84
5	बाबुबरही	351.66	682	269.56		-	-	-	110	30.8	-	-	-	-	167	51.3	-	-	959	351.66
योग (1–5)		1796.52	3992	1557.01	0	-	0	-	223	45.97	57	26.14	0	-	1514	99.1	355	119.64	14151	1801.62
6	झंझारपुर	450.63		415.59	-	-	-	-	-	35.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.63
7	मधेपुर	454.95	961	494.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	961	494.78
8	लखनौर	147.625	360	143.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	3.99	363	147.62
9	अंधराठाढ़ी	555.12	661	376.08	-	-	-	-	9	1.42	-	-	-	-	-	-	323	177.62	993	555.12

योग(6–9)		1608.33	1982	1430.08	-	-	-	-	9	36.82	-	-	-	-	-	-	336	181.61	2317	1648.15
10	बेनीपट्टी	520.61			-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	520.61
11	बिस्फी	197.42	234	152.86	-	-	-	-	80	24.98	-	-	-	-	29	12.9	31	7.49	374	197.42
12	मधवापुर	457.95	672	257.3	-	-	-	-	488	172.5	-	-	-	-	41	7.79	36	20.34	1237	457.95
13	हरलाखी	158.4	352	79.27	-	-	-	-	265	61.52	32	9.56	-	-	26	4.85	8	3.2	683	158.4
योग (10–13)		1334.38	1258.00	489.43					833.00	259.00	32.00	9.56			96.00	25.54	75.00	31.03	2294.00	1334.38
14	जयनगर	85.39	256	54.45	-	-	-	-	156	30.94	-	-	-	-	-	-	-	-	412	85.39
15	बासोपट्टी	297.62	490	180.2	169	80.4	-	-			-	-	-	-	113	20	60	17	832	297.62
16	लदनियाँ	361.4	639	220.17	-	-	-	-	147	60.1	125	25.03	-	-	35	5	33	6	979	316.4
योग (14–16)		744.41	1385.00	454.82	169.00	80.42			303.00	91.04	125.00	25.03			148.00	25.00	93.00	23.00	2223.00	699.41
17	फुलपरास	281.33	360	266.72	-	-	-	-	36	14.61	-	-	-	-	-	-	-	-	396	281.33
18	घोघरडीहा	99.83	81	70.4	-	-	-	-	37	20.05	-	-	-	-	11	9.38	-	-	129	99.83
19	खुटौना	637.33	1182	524.15	-	-	-	-	56	12.96	-	-	-	-	79	21.96	200	78.26	1517	637.33
20	लौकही	1400.88	1213	600.29	-	-	-	-	1	0.45	-	-	-	-	318	100.15	820	472.2	2352	1173.09
योग (17–20)		2419.37	2836.00	1461.56	-	-	-	-	130.00	48.07	-	-	-	-	408.00	131.49	1020.00	550.46	4394.00	2191.58
कुल योग		14009.49	18914.00	9228.79	338	161	-	-	2773	915.83	371	95.32	-	-	463.16	463.16	3403	1691.8	36607	13548.66

11. भू–हदबन्दी

भू–हदबन्दी की प्रगति किसी भी अंचलों में संतोष प्रद नहीं है। अतएव निम्नांकित निर्देश दिये जाते है :–

➤सभी हल्का कर्मचारी हल्कावार/भूधारीवार अर्जित जमीन की पूर्ण विवरणी तैयारी करेंगे जिसमें कुल रकवा, वितरित भूमि, लाभान्वितों की कुल संख्या, अयोग्य भूमि का रकवा एवं उनका कारण अंकित करेंगे। हल्कावार जो पंजी बनाई जायेगी उसके वाँए तरफ अर्जित भूमि का रकवा एवं दायें तरफ बन्दोवस्ती की विवरणी अंकित की जायेगी।

➤अवशेष भूमि के वितरण हेतु शीध्र कार्रवाई करें। किसी भी परिस्थिति में अयोग्य रकवा को प्रतिवेदित नहीं किया जाय बल्कि विहित प्रक्रिया अपना कर उसे शून्य कर लिया जाय।

➤पूर्व में जो जमीन वितरित की गई उसपर संबंधित व्यक्ति का दखल–कब्जा है या नहीं, हल्कावार/भूधारीवार प्रतिवेदन दें।

➤लंवित भूमि के वितरण का प्रस्ताव अनु0 पदा0 को शीध्र दें।

➤अंचल अधिकारी, बाबुबरही द्वारा 4.20 एकड़, खजैली द्वारा 5.45 एकड़ एवं लदनियाँ द्वारा 1.05 एकड़ भूमि बन्दोवस्त का प्रस्ताव दिया गया है। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी निष्पादन हेतु शीघ्र कार्रवाई कर अनुपालन प्रतिवेदन देंगे।

➤भू–हदबन्दी के अर्न्तात जब कोई जमीन अधिशेष घोषित होती है तो गजट प्रकाशन के तुरन्त बाद Mutation बिहार सरकार के नाम से कर दिया जाना चाहिए पर नहीं किया जा रहा है जिससे वास्तविक स्थिति का पता नहीं चलता है। अतएव अं0 अ0 इसे अविलम्ब सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे।

➤भू0 ह0 के अन्तर्गत जो भी मामले न्यायालय में लंबित हैं, उसके भूधारी विशेष का नाम, न्यायालय का नाम एवं मामला कब दायर किया गया की जानकारी अं0 अ0 अविलम्ब प्रभारी पदा0 राजस्व को भेजेंगे ताकि मुकदमा के वर्त्तमान स्थिति का पता लगाया जा सके। तदनुसार गजट की प्रति भी उपलब्ध करायी जायेगी।

भू-हदबंदी मामलों का प्रतिवेदन

क्र0	न्यायालयवार	31-03-2001 तक लंबित वाद		2001-2002 में दायर वाद		कुल वाद		2001-2002 में निष्पादित वाद		लंबित वाद		तीन वर्ष से कम समय से लंबित	तीन वर्ष से अधिक समय से लंबित	पाँच वर्ष से अधिक समय से लंबित	अभ्युक्ति
		संख्या	रकवा	संख्या	रकवा	संख्या	रकवा	संख्या	रकवा	संख्या	रकवा				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	समाहर्ता, मधुबनी	16	1931.75	0	0	16	1931.75	0	0	16	1931.75	1			15 अभि0
3	अपर समाहर्ता	24	3968.14	0	0	24	3968.14	4	379.26.5	20	3588.87.5	15	5		
4	अनुमंडल पदाधिकारी,	24	4142.32.5	0	0	24	4101.40.5	1	51.45	23	4090.87.5	9	14		
	उप–समाहर्ता, एवं अन्य														
	कुल योग	64	10042.21.5	0	0	64	10042.21.5	5	430.71.5	59	9611.5	25	19		15

भू-हदबंदी मामलों का अनुमंडलवार प्रतिवेदन

क्र0	न्यायालयवार	31-03-2001 तक लंबित वाद		2001-2002 में दायर वाद		कुल वाद		2001-2002 में निष्पादित वाद		लंबित वाद		लंबित तीन वर्ष से कम समय से लंबित	तीन वर्ष से अधिक समय से लंबित	पाँच वर्ष से अधिक समय से लंबित	अभ्युक्ति
		संख्या	रकवा	संख्या	रकवा	संख्या	रकवा	संख्या	रकवा	संख्या	रकवा				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	अनुमंडल पदाधिकारी,सदर मधु0	3	759.75.5			3	759.75.5			3	759.75.5				
2	अनुमंडल पदाधिकारी,झंझारपुर	8	861-07			8	861-07			8	861-07				
3	अनुमंडल पदाधिकारी,फुलपरास	2	81.65			2	81.65			2	81.65				
4	अनुमंडल पदाधिकारी,जयनगर	1	50-25			1	50-25			1	50-25				
5	उप समाहर्त्ता,भूमि सुधार सदर	5	1695.76.5			5	1695.76.5			5	1695.76.5				
6	उप समाहर्त्ता,भूमि सुधार फुलपरास	5	693.83.5			5	693.83.5	1	51.45	4	642.38.5				
कुल योग		24	4142.32.5	0	0	24	4142.32.5	1	51.45	23	4090.87.5	0	0	0	

गैर मजरूआ आम/खास भूमि का वितरण

क्र0	अंचल का नाम	सरकारी भूमि का रकवा	बन्दोवस्ती हेतु योग्य भूमि का रकवा	31-3-2001 वितरित भूमि का रकवा	वितरण के लिए शेष भूमि कारकवा	2001/2002 मे वितरित भूमि का रकवा	कुल वितरित भूमि का रकवा	वितरण हेतु योग्य भूमि का रकवा	लामान्वित परिवारों की संख्या																	
									अनु0 जाती		अनु0 जनजाती		सैनिक		पिछड़ा वर्ग		महिला		विकलांग		अल्पसंख्यक		अन्य		कुल	
									संख्या	रकवा	संख्या	रकवा	संख्या	रकवा	संख्या	रकवा	संख्या	रकवा	संख्या	रकवा	संख्या	रकवा	संख्या	रकवा	संख्या	रकवा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	रहिका	2656.92	429.51	425.57	3.94	0	425.57	3.94	150	36.15	0	_	3	5.1	259	182.54	_	_	_	_	204	90	175	111.78	791	425.57
2	पंडौल	3822.05	1377.37	1320.12	7.25	0	1320.12	7.25	0	0	0	_	_	_	0	0	_	_	_	_	0	0	0	0	0	1320.12
3	राजनगर	2904.95	1153.34	1142.26	11.63	0	1142.26	1163	1096	211.16	0	_	_	_	1823	707.08	_	_	_	_	0	0	215	772.79	3134	1750.49
4	खजौली	4841.2	1065.32	1046.37	10.15	0	1046.37	10.15	912	190.4	0	_	_	_	1932	453.09	_	_	_	_	0	0	1703	402.88	4547	1046.37
5	बाबुबरही	5174.68	4108.65	4095.31	8.36	0	4095.31	8.36	2937	1643.1	0	_	3	_	1903	1016.7	_	_	_	_	200	173	493	1246.68	5536	4095.31
योग		19399.8	8134.19	8029.63	41.33	0	8029.63	1192.7	5095	2080.8	0	_	6	5.1	5917	2359.4	_	_	_	_	404	263	2586	2534.13	14008	8637.86
6	झंझारपुर	36626.6	191.36	191.36	0	0	191.36	0	215	135.68	45	55.68	_	_	0	0	_	_	_	_	0	_	45	55.68	260	191.36
7	मधेपुर	4031.55	0	396.04	114.3	0	114.3	0	386	114.3	0	_	_	_	0	0	_	_	_	_	0	_	0	0	386	114.3
8	लखनौर	1598.51	978.47	961.23	117.24	0.44	961.67	16.8	151	24.73	0	_	_	_	3	0.27	_	_	_	_	0	_	0	936.67	0	961.67
9	अंधराठाढ़ी	5196.43	983.74	1865.78	3.71	0	1865.78	58.71	691	54.38	0	_	_	_	411	659.12	_	_	_	_	35	18.3	425	542.27	2039	1776.63
योग		47453.1	2153.57	3414.41	235.25	0.44	3133.11	75.51	1443	329.09	45	55.68			414	659.39	_	_	_	_	35	18.3	470	1534.62	2685	3043.96
10	बेनीपट्टी	2386.39	117.74	103.69	14.15	0.78	103.59	14.15	236	48	0	_	_	_	65	29.25	_	_	_	_	0	_	39	26.34	340	103.59
11	बिस्फी	2635.5	0	2457.77	177.73	0	92.34	9.04	4312	634.1	0	_	_	_	2630	618.77	_	_	_	_	0	_	2372	1164.4	9234	2457.77
12	मधवापुर	2483.32	1173.94	1171.74	1.83	0.32	1172.06	1.88	1272	615.23	0	_	_	_	686	334.85	_	_	_	_	0	_	228	221.88	2186	1172.06
13	हरलाखी	3762.45	83.03	74.57	8.46	0	74.57	0	412	74.57	0	_	_	_	0	0	_	_	_	_	0	_	0	0	412	74.57
योग		11267.7	1374.71	3807.77	202.17	1.1	1442.56	25.07	6232	1371.9	0	_	_	_	3381	982.87	_	_	_	_	0	_	2639	1412.62	12172	3807.99
14	जयनगर	3654.9	1755.47	1746.58	8.89	0	271.29	8.89	1445	366.86	0	_	3	352	469	141.62	_	_	_	_	0	_	13	97.15	914	271.29
15	बासोपट्टी	3099.12	2221.62	2221.62	6.41	0	2221.62	6.41	1310	760.92	0	_	_	_	1404	942.94	_	_	_	_	0	_	532	443.2	3248	2221.62
16	लदनियॉ	6347.93	4741.43	4729.26	4.17	0	4729.26	4.17	1391	2702	0	_	4	6.65	731	40.72	21	29.45	49	117	243	60.4	1679	1778.14	4118	4729.26
योग		13102	8718.52	8697.46	19.47	0	7222.17	19.47	4146	3829.8	0	_	7	359	2604	1125.3	21	29.45	49	117	243	60.4	2224	2318.49	8280	7222.17
17	फुलपरास	7528.18	750.22	733.19	18.33	6.01	0	0	164	696.07	0	_	_	_	0	0	3	0.09	_	_	_	_	0	0	164	896.16
18	घोघरडीहा	2850.53	779.28	766.83	14.45	11.05	23	12.45	23	11.75	0	_	_	_	0	0	_	_	_	_	_	_	0	0	23	11.75
19	खुटौना	5357.72	60.71	3834.69	34	2.46	0	0	2323	159.69	0	_	_	_	2150	1287.6	_	_	_	_	_	_	1630	2395.91	6303	3837.68
20	लौकही	3442.87	1590.21	37.07	15.66	2.45	40.32	15.66	83	39.45	0	_	_	_	7	0.7	_	_	_	_	_	_	1	0.17	91	40.32
योग		19179.3	7657.32	5371.78	82.44	21.97	63.32	28.11	2593	906.96					2157	1288.3	3	0.09					1631	2396.08	6581	3889.75

क्र0 पृ0 उ0

12. गैरमजरूआ आम/खास :–

➢गैरमजरूआ आम/खास भूमि से संबंधित प्रगति किसी भी अंचल में संतोषप्रद नहीं है।

➢सर्वे खतियान के आधार पर हल्कावार कितनी जमीन गैरमजरूआ आम/खास की है, कितनी वितरित हो गई है, कितनी जमीन वितरण योग्य है, कितनी जमीन अयोग्य है, उसकी सूची हल्कावार अगली बैठक में लाऐंगे। यदि वितरण योग्य भूमि अवशेष नहीं है तो इस आशय का लिखित प्रमाण–पत्र देंगे। कई माहों से इस संबंध में निर्देश दिया जा रहा है, किन्तु अनुपालन नहीं किया गया है जो दुखद स्थिति का द्योतक है।

➢भूतपूर्व जमींदार द्वारा बन्दोवस्त, सरकार द्वारा वन्दोवस्त, जमीन्दारी रसीद के आधार पर, सुयोगय श्रेणी के साथ बन्दोवस्त भूमि से संबंधित प्रतिवेदन अगली बैठक में लाना सुनिश्चित करेंगे। कइ माहों से इस संबंध में निर्देश दिया जा रहा है, परन्तु अनुपालन नहीं किया गया है, जो दुखद स्थिति का द्योतक है।

➢गैरमजरूआ आम भूमि पर यदि कोई भूमिहीन बसा हुआ है तो बासगीत बन्दोबस्ती का प्रस्ताव शीध्र दें ताकि आयुक्त दरभंगा प्रमंडल को बन्दोबस्ती हेतु अनुशंसा भेजी जा सके। किसी भी परिस्थिति में 12 1/2 डी0 से अधिक जमीन का प्रस्ताव एक व्यक्ति के नाम से नहीं दें। जो व्यक्ति सुयोग्य श्रेणी में नहीं आते है फिर भी जमीन पर दखल कब्जा किये हुए है तो उनके विरूद्ध अतिक्रमण वाद चलाकर शीघ्र खाली करावें।

➢सभी हल्का कर्म0/अं0 नि0 के माध्यम से अपने–अपने हल्का से 1–1 एकड़ भूमि के वितरण का प्रस्ताव अं0अ0 को समर्पित करेंगें। 31 दिसम्बर तक अनुपालन सुनिश्चित करें। अनुपालन नहीं होने पर संबंधित अ0 नि0 को भी समान रूप से जिम्मेवार माना जाएगा।

➢राजनगर अंचल के पलिवार गॉव में 5 एकड़ भूमि पर मुशहर लोग वसे हुए है अं0 अधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी /भू0सु0 अप समाहर्त्ता व्यक्तिगत अभिरूचि लेकर अविलम्ब वन्दोवस्ती की कार्रवाई सुनिश्चित करें एवं अनुपालन प्रतिवेदन दें। यह भी देख लें कि उक्त जमीन भू–हदबंदी वाद में तो सम्मिलित नहीं है।

13. जनता दरवार

➢जनता दरवार से प्राप्त आवेदन पत्रों की विवरणी निम्न प्रकार हैं। जितने भी आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं ,हल्कावार पंजी संधारित कर निष्पादन की कार्रवाई करें।

बार–बार निर्देश दिये जाने के बाद भी अनुपालन असंतोषजनक है। यह अत्यंत ही दयनीय स्थिति है। अं0 अधिकारी, पंडौल द्वारा 88 के विरूद्ध 80 आवेदन पत्रों का निष्पादन किया गया है जो सराहनीय है।

➢जनता दरवार (जिला जन शिकायत कोषांग, मधुबनी) से प्राप्त आवेदन पत्रों की जॉच/कार्रवाई से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन निम्नलिखित प्रपत्र में अगली बैठक में समर्पित करेंगे।

➢सभी अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/ अंचल अधिकारी अपने स्तर पर प्रत्येक सप्ताह जनता दरबार आयोजित करें एवं प्राप्त आवेदन पत्रों को पंजी में संधारित कर शीघ्र निष्पादन करें। गरीब, असहाय लोंगों के प्रति संवेदनशील रहें।

कृ0 पृ0 उ0

जनता दरबार (जिला जन शिकायत कोषाग, मधुबनी) से प्राप्त आवेदन पत्रो की जाँच / कार्रवाई हेतु पंजी संधारण का विहित प्रपत्र								
क्र0	आवेदक का नाम / पता	विषय	पत्र कहाँ से प्राप्त हुआ	पत्रांक / दिनांक	संचिका संख्या	कृत कार्रवाई का ब्यौरा	निष्पादित पत्रो का पत्रांक /दिनांक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9

जनता दरबार में भेजे गये आवेदनकी सूची :-

क्रमांक	अंचल का नाम	आवेदन पत्रो की सं0	उत्तर प्राप्त आवेदन पत्र की सं0	लंबित आवेदन पत्रों की सं0
1	2	3	4	5
1	रहिका	120	34	86
2	पंडौल	132	77	55
3	राजनगर	88	23	65
4	खजौली	95	18	77
5	बाबूबरही	108	37	71
6	झंझारपुर	64	21	43
7	मधेपुर	46	05	41
8	लखनौर	40	3	37
9	अंधराठाढ़ी	73	16	57
10	बेनीपट्टी	37	11	26
11	बिस्फी	43	3	40
12	मधवापुर	34	11	23
13	हरलाखी	45	8	37
14	जयनगर	48	2	46
15	बासोपट्टी	35	3	32
16	लदनियाँ	51	3	48
17	फुलपरास	9	1	8
18	घोघरडीहा	38	3	35
19	खुटौना	33	12	21
20	लौकही	22	5	17
	कुल योग :-	1161	296	865

R TCP NOV 02 NIC

खाता पुस्तिका का विवरण:-

क्रमांक	अंचल का नाम	राजस्व ग्रामों की संख्या	कितने ग्रामों में कार्य प्रारंभ हुआ	कितने में प्रारूप प्रकाशन हुआ	कितने में अन्तिम प्रकाशन हुआ	कितने में खाता पुस्तिका का वितरण हो गया	खाता पुस्तिका प्राप्त रैयतों की संख्या	प्रतिशत	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	रहिका	79	48	19	15	15	5403	18%	
2	पंडौल	76	12	6	6	14	6010	18%	
3	राजनगर	64	22	21	20	20	3844	31%	
4	खजौली	50	9	9	9	14	2965	28%	
5	बाबुबरही	63	24	23	19	19	3509	30%	
योग(1+2+3+4+5)		**332**	**115**	**78**	**69**	**82**	**21731**	**24%**	IV
6	झंझारपुर	69	32	25	25	29	6000	42%	
7	मधेपुर	86	76	76	76	76	4063	88%	
8	लखनौर	44	8	3	3	3	2100	6%	
9	अंधराठाढ़ी	48	16	12	10	3	1877	6%	
योग(6+7+8+9)		**247**	**132**	**116**	**114**	**111**	**14040**	**44%**	I
10	बेनीपट्टी	103	51	51	51	51	6310	49%	
11	बिस्फी	57	9	9	9	2	3451	3%	
12	मधवापुर	43	23	23	23	23	9345	53%	
13	हरलाखी	44	19	19	19	19	5250	43%	
योग(10+11+12+13)		**247**	**102**	**102**	**102**	**95**	**24356**	**38%**	III
14	जयनगर	21	21	11	11	11	2889	52%	
15	बासोपट्टी	34	13	9	9	9	2712	26%	
16	लदनियाँ	28	14	13	13	13	1420	46%	
योग(14+15+16)		**83**	**48**	**33**	**33**	**33**	**7021**	**39%**	II
17	फुलपरास	42	5	5	5	3	6000	7%	
18	घोघरडीहा	52	19	22	22	22	5122	36%	
19	खुटौना	47	10	9	9	9	6000	19%	
20	लौकही	66	13	8	8	8	6000	12%	
योग(17+18+19+20)		207	57	44	44	42	23122	20%	V
जिला योग :–		**1116**	**454**	**373**	**362**	**363**	**90270**	**32%**	

14. खाता अभिधारी पुस्तिका :-

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि खाता अभिधारी पुस्तिका के वितरण की प्रगति सभी अंचलो में संतोषप्रद नहीं है। इस संबंध में सभी अंचल अधिकारी/भूमि सुधार उपसमाहर्ता/अनुमंडल पदाधिकारी/अपर समाहर्ता मधुबनी को विशेष अभिरूचि लेने की आवश्यकता है। अभिधारी खाता पुस्तिका के वितरण हेतु निम्नांकित निर्देश दिये जाते हैं:-

➢सर्व प्रथम सभी हल्कों के राजस्व गॉव का खेसरा पंजी तैयार कर लिया जाय।

➢जितने गॉव का खाता पुस्तिका बनाकर वितरण कर दिया गया है, उसका कन्टिन्युअस खतियान की एक प्रति जिला कार्यालय को अविलम्ब भेजें ताकि भूमि अभिलेख का कम्प्यूटरीकरण करने में आसानी हो।

➢प्रत्येक हल्का कर्मचारी इस माह में कम-से-कम एक गॉव का खाता-पुस्तिका तैयार कर वितरण की कार्रवाई सुनिनश्चित करें। अधिकतम चार माह में सभी गॉवों में खाता-पुस्तिका तैयार कर वितरण सुनिश्चित करें।

➢सभी अं0 अ0 द्वारा आश्वासन दिया गया कि पूर्व निधारित लक्ष्य को इस माह के अंत तक कर लिया जायगा।

➢अगली बैठक में वितरण पंजी अवलोकनार्थ उपस्थापित करें।

➢खाता पुस्तिका तैयार करने हेतु इस माह के लिए द्वितीय प्राथमिकता बिन्दु निर्धारित की जाती है, इस हेतु अंचल स्तर पर 1/1/03 से 15/1/03 तक इसके लिये विशेष रूप से शिविर आयोजित कर युद्ध स्तर पर अवशेष खाता पुस्तिका तैयार करावें।

➢प्रभरी उप समाहर्त्ता, जिला राजस्व 10 – 10 हजार खाता पुस्तिका छपवाकर यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

15. वाद से संबंधित

विभिन्न वादो से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन

➢विभिन्न वादों का निष्पादन हल्का वार कैम्प कोंट कर किया जाय।इसका क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय।

➢दाखिल खारिज/लगान निर्धारण की कार्रवाई कैम्प कोंट में ही सुनिश्चित किया जाय। 48 डी0/48 ई0 के अर्न्तगत अबिलम्ब कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। पूर्व में दिये गये निर्देश का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है,जो चिन्ता का विषय है,अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

क्0 पृ0 उ0

बी०पी०पी०एच०टी० अधिनियम के अन्तर्गत मामलों का प्रतिवेदन

क्रमांक	अंचल का नाम	1/4/02 को लंबित मामला	2002–2003 में दायर मामला	2002–2003 में निष्पादन योग्य कुल मामले (56)	2002–2003 में निष्पादित कुल मामले पक्ष में	विपक्ष में	कुल	शेष मामले (7–10)	वासगित पर्चा हेतु सर्वेक्षित प्रश्राय प्राप्त रैयत की संख्या	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	रहिका	0	10	10	10	0	10	0	0	
2	पंडौल	0	72	72	72	0	72	0	0	
3	राजनगर	0	32	32	22	0	22	10	2	
4	खजौली	0	5	5	0	0	0	5	0	
5	बाबुबरही	1	4	5	4	0	4	1	0	
योग(1+2+3+4+5)		1	123	124	108	0	108	16	2	
6	झंझारपुर	0	7	7	0	0	0	7	0	
7	मधेपुर	0	55	56	55	1	56	0	8	
8	लखनौर	0	14	47	46	1	47	0	260	
9	अंधराठाढ़ी	0	3	3	0	0	0	3	0	
योग(6+7+8+9)		0	79	113	101	2	103	10	268	
10	बेनीपट्टी	0	19	19	0	0	0	19	0	
11	बिस्फी	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	मधवापुर	0	42	42	42	0	42	0	0	
13	हरलाखी	1	37	38	38	0	38	0	0	
योग(10+11+12+13)		1	98	99	80	0	80	19	0	
14	जयनगर	1	0	1	0	0	0	1	0	
15	बासोपट्टी	1	29	30	3	0	3	27	19	
16	लदनियाँ	41	10	51	31	16	47	4	47	
योग(14+15+16)		43	39	82	34	16	50	32	66	
17	फुलपरास	0	25	25	24	1	25	0	0	
18	घोघरडीहा	0	13	13	13	0	13	0	30	
19	खुटौना	0	1	1	0	0	0	1	0	
20	लौकही	3	0	3	0	0	0	3	0	
योग(17+18+19+20)		3	39	42	37	1	38	4	30	
कुल योग										

16. वासगीत पर्चा

➢बी0पी0एच0टी0 अधिनियम के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति पर्चा निर्गत करने हेतु आवेदन देता है तो अभिलेख खोलकर उसका शीघ्र निष्पादन करें।

➢यदि भू हदबन्दी की जमीन पर कोई व्यक्ति बसा हुआ है तो भू धारी को नोटिश करें। यदि आपति प्राप्त नहीं होती है तो पर्चा निर्गत करें।यदि जमीन अर्जीत होगी तो बन्दोबस्ती उसी व्यक्ति के नाम की जा सकती है।

➢सभी हल्का कर्मचारी अपने–अपने हल्का में सर्वेक्षण कर 31 दिसम्बर तक प्रतिवेदित करें कि कितने व्यक्ति पर्चा प्राप्त करने योग्य हैं। यदि कोई व्यक्ति पर्चा पाने योग्य नहीं है, तो इस आशय का प्रमाण पत्र अगली बैठक में दें कि उनके हल्का में कोई भी व्यक्ति पर्चा प्राप्त हेतु शेष नहीं बचे है।

17. अतिक्रमण मामलो के निष्पादन संबंधी प्रगति प्रतिवेदन

अक्टूबर माह में मधवापुर अंचल में 6, बिस्फी में 3, मामला का निष्पादन किया गया है, शेष अंचलों में प्रगति शून्य है जो चिन्ता का विषय है। अतएव निम्नांकित निर्देश दिये जाते हैं:–

➢ सभी हल्का कर्मचारी अपने अपने हल्का में सर्वेक्षण कर अतिक्रमित जमीन की नापी करा कर पंजी संधारित करेंगे एवं अतिक्रमण हटाने हेतु विधिवत प्रस्ताव अंचल अधिकारी को समर्पित करेंगे।

➢ अंचल अधिकारी प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर अभिलेख संधारित कर 48 घंटे में अतिक्रमण को हटाने हेतु नोटिश निर्गत करें । नोटिश के बाबजूद अतिकमण नहीं हटाया जाता है तो थाना प्रभारी की मदद से बलपूर्वक अतिकमण हटाने की कार्रवाई करें एवं स्टेशन डायरी में अंकित करावें ताकि पुनः अतिकमण नहीं किया जा सके। **Encroachment Act** एवं **Bihar Police Manual** की धारा 100 में थाना प्रभारी को अतिक्रमण हटाने हेतु शक्ति प्रदत्त है।

➢ अतिकमण वाद से संबंधित सभी मामलों का निष्पादन इस माह के अंत तक कर लिया जाय। **S.D.O/D.C.L.R** अपने स्तर से इसका अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। जो अंचल अधिकारी इस माह में निष्पादन नहीं करेंगे,उनके विरूद्व कार्रवाई हेतु सरकार को प्रतिवेदित कर दिया जायगा।

➢सभी हल्का कर्मचारी एवं अं0नि0 31 दिसम्बर तक लिखित प्रमाण पत्र देंगे कि उनके हल्का में कोई भी सरकारी जमीन अतिकमित नहीं है। सभी अ0 अ0 अगली बैठक में लिखित प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे।जॉच के बाद यदि प्रमाण–पत्र गलत पाया जाता है तो संबंधित रा0कर्म0/अं0नि0 के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

➢ झंझारपुर रेड कॉस के बगल में निजी व्यक्ति द्वारा अतिकमण कर घर बनाया जा रहा है। अं0अ0 झंझारपुर द्वारा बताया गया कि कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। किन्तु 4 माह बीत जाने के वाद भी अनुपालन नहीं किया गया है। जो दुखद है। अं0अ0 को निर्देश दिया जाता है कि 31 दिसम्बर तक विहित प्रकिया अपना कर अतिकमण खाली कर अनुपालन प्रतिवेदन अगली बैठक में देंगे। अनु0पदा0, झंझारपुर अपने स्तर से भी अनुपालन सुनिश्चित कराऐंगे।

➢ अतिकमण हटाने के कार्य में स्थानीय जन प्रतिनिधि से भी समुचित सहयोग लिया जाय।

➢मधुबनी शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण का एक भी मामला अवशेष नहीं रहना चाहिए।

➢मधुबनी शहरी क्षेत्र में कोतवाली चौक से थाना चौक तक सड़क के दोनो ओर अतिक्रमण किया गया है, किन्तु अंचल अधिकारी, रहिका द्वारा इस संबंध में अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही है। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर अपने स्तर से अनुपालन संनिश्चित करावें।

➢जनवरी 2003 में अतिक्रमण हटाने हेतु प्रथमिक बिन्दु 1 निर्धारित की जाती है।

अनुपालन – सभी अनु0पदा0/अं0अ0/अं0नि0/ह0कर्म0/अं0अमीन

अतिक्रमण मामलो के निष्पादन संबंधी प्रगति प्रतिवेदन

क्र0	अंचल का नाम	1.4.2002 को लम्बित वाद संख्या	बाद में सन्निहित रकवा	1.4.2002 के बाद दायर वाद संख्या	बाद में सन्निहित रकवा	कुल वाद संख्या	बाद में सन्निहित रकवा	गत माह तक निष्पादित वाद संख्या	बाद में सन्निहित रकवा	प्रतिवेदित माह में निष्पादित वाद संख्या	बाद में सन्निहित रकवा	कुल निष्पादित वाद संख्या	बाद में सन्निहित रकवा	लम्बित वाद संख्या	बाद में सन्निहित रकवा	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	रहिका	25	0.00	1	0.00	26	0.00	4	0	2	0	6	0	20	0.00	23%
2	पण्डौल	8	0.45	0	0.00	8	0.45	0	0	0	0	0	0	8	0.45	0%
3	राजनगर	5	0.05	17	3.31	22	3.36	5	0.05	17	3.31	22	3.36	0	0.00	100%
4	खजौली	19	2.51	5	0.81	24	3.32	3	0.23	0	0	3	0.23	21	3.09	13%
5	बाबूबरही	5	0.91	0	0.00	5	0.91	0	0	0	0	0	0	5	0.91	0%
	योग :–	62	4.93	23	4.12	85	8.04	12	0.28	19	3.31	31	3.59	54	4.43	**36%**
6	झंझारपुर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.02	0	0.00	0%
7	मधेपुर	8	1.76	8	0.97	16	2.73	1	0.12	0	0	1	0.00	15	2.71	13%
8	लखनौर	13	4.38	0	0.00	13	4.38	0	0.00	0	0	0	0.00	13	4.38	0%
9	अंधराठाढी	0	0.00	1	0.06	1	0.06	0	0.00	0	0	0	0.00	1	0.06	0%
	योग :–	21	6.14	9	1.03	30	7.17	1	0.12	0	0	1	0.02	29	7.15	**8%**
10	बेनीपट्टी	6	0.57	7	0.45	13	1.08	7	0.75	5	0.25	12	1.00	1	0.02	92%
11	विस्फी	18	0.84.5	10	1.20	28	2.04.5	0	0.00	3	0.04.5	3	0.04.5	25	2.00	11%
12	मधवापुर	4	0.44	3	0.12	7	0.56	1	0.04	5	0.49	6	0.53	1	0.03	86%
13	हरलाखी	2	2.56	5	0.85	7	3.41	4	0.99	0	0	4	0.99	3	2.42	57%
	योग :–	**30**	**4.41.5**	**25**	**2.62**	**55**	**7.09.5**	**12**	**1.78**	**13**	**0.78.05**	**25**	**2.56.5**	**30**	**4.47**	**45%**
14	जयनगर	8	2.66.5	0	0.00	8	2.66.5	4	0.54	0	0	4	0.54	4	2.12.5	50%
15	बासोपट्टी	34	15.79	7	3.10	41	18.89	32	18.81	0	0	32	17.81	9	1.08	78%
16	लदनियाँ	5	1.18	0	0.00	5	1.18	5	1.18	0	0	5	1.18	0	0.00	100%
	योग :–	**47**	**19.63.5**	**7**	**3.10**	**54**	**22.73.05**	**41**	**19.53**	**0**	**0**	**41**	**19.53**	**13**	**3.20.5**	**76%**
17	फुलपरास	1	0.03	5	0.83	6	0.87	1	0.03	0	0	1	0.03	5	0.87	13%
18	घोघरडीहा	2	0.26	12	0.90	14	1.16	9	0.79	1	0.05	10	0.84	4	0.32	71%
19	खुटौना	4	0.30	0	0.00	4	0.30	0	0.00	0	0	0	0.00	4	0.30	0%
20	लौकही	1	0.04	0	0.00	1	0.04	0	0.00	0	0	0	0.00	1	0.04	0%
	योग :–	**8**	**0.63**	**17**	**1.73**	**25**	**2.37**	**10**	**0.82**	**1**	**0.05**	**11**	**0.87**	**14**	**1.53**	**44%**
जिला योग :–		**168**	**34.74**	**81**	**12.60**	**249**	**48.31**	**76**	**22.53**	**33**	**4.14.5**	**109.00**	**26.57.5**	**140**	**20.80.5**	**44%**

कृ0 पृ0 उ0

दाखिल-खारिज से संबंधित प्रतिवेदन

क्रमांक	अंचल का नाम	1.4.2002 को लंवित मामला	2002–2003 में दायर मामला	कुल मामलों की संख्या	निष्पादित मामलों गत माह तक	आलोच्य माह में	कुल	लंवित मामलों की संख्या	प्रतिशत	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	रहिका	0	880	880	751	129	880	0	100%	
2	पंडौल	5	321	326	270	30	300	26	92%	
3	राजनगर	0	280	280	210	35	245	35	87%	
4	खजौली	4	345	349	265	79	344	5	98%	
5	बाबुबरही	0	434	434	423	10	433	1	99%	
योग		9	2260	2269	1919	283	2202	67	97%	II
6	झंझारपुर	0	149	149	44	45	89	60	59%	
7	मधेपुर	0	170	170	155	7	162	8	95%	
8	लखनौर	0	155	155	69	36	105	50	67%	
9	अंधराठाढ़ी	4	42	46	42	4	46	0	100%	
योग		4	516	520	310	92	402	118	77%	V
10	बेनीपट्टी	0	1016	1016	913	103	1016	0	100%	
11	बिस्फी	0	208	208	200	8	208	0	100%	
12	मधवापुर	0	734	734	680	54	734	0	100%	
13	हरलाखी	0	530	530	378	152	530	0	100%	
योग		0	2488	2488	2171	317	2488	0	100%	I
14	जयनगर	2	360	362	285	76	361	1	99%	
15	बासोपट्टी	17	140	157	126	25	151	6	96%	
16	लदनियाँ	125	250	375	96	250	346	29	92%	
योग		144	750	894	507	351	858	36	95%	III
17	फुलपरास	9	149	158	124	29	153	5	96%	
18	घोघरडीहा	6	201	207	167	8	175	32	84%	
19	खुटौना	0	275	275	250	25	275	0	100%	
20	लौकही	9	152	161	82	70	152	9	94%	
योग		24	777	801	623	132	755	46	94%	IV
कुल योग		181	6791	6972	5530	1175	6705	267	96%	

18. दाखिल–खारीज

दाखिल खारीज की प्रगति में सुधार हुआ है परन्तु अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। अभी भी 350 मामलें लंवित है। अतएव निम्नांकित निर्देश दिये जाते हैं:–

➤सभी दाखिल खारीज हेतु लंवित मामलों का निष्पादन परिवहन शिविर की तरह कैम्प कोर्ट कर किया जाय। इस माह में सभी अंचलों में कम से कम 500 – 500 मामलों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाय। इस हेतु सभी अंचल अधिकारी द्वारा आश्वास्त किया गया। शत प्रतिशत दाखिल खारिज मामलों का निष्पादन हो जाने पर खाता पुस्तिका तैयार करने में सुविधा होगी। कैम्प कोर्ट का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाय एवं इस कार्य में स्थानीय जन प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करें।

➤सभी निबंधन कार्यालय द्वारा जमीन के निबंधन के पश्चात् फार्म एल0एल0फी0 भेजा जाता है। अतः अंचल अधिकारी फार्म एल0एल0फी0 के आधार पर ही दाखिल खारीज की कार्रवाई सुनिश्चित् करेंगे ताकि विश्वसनीयता एवं पारदर्शिता बनी रहे।

➤सभी अंचल अधिकारी स्वयं प्रतिवेदन की जॉच कर ही हस्ताक्षर करेंगे एवं तिथि अंकित करेंगे। गलत प्रतिवेदन दर्ज किये जाने पर अं0 नि0 के साथ–साथ अं0 अ0 को भी जिम्मेदार माना जायेगा।

19.न्यूनतम मजदूरी:–

न्यूनतम मजदूरी की प्रगति अत्यन्त ही धीमी हैं अतएव निम्नांकित निर्देश दिये जाते है:–

➤न्यूनतम मजदूरी से संबंधित 535 मामले लंवित है। अतःसभी मामलों का निष्पादन शीघ्र किया जाय।

➤निर्देश दिया जाता है कि श्रम प्रर्वतन पदाधिकारी अधिक से अधिक मामले अंचल अधिकारी अथवा अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय में हीं दायर करेंगे ताकि उसका निष्पादन शीघ्र हो एवं उन्हें न्याय मिल सके।

➤सभी श्रम प्रर्वतन पदाधिकारी अंचल स्तर पर आयोजित प्रत्येक साप्ताहिक बैठक में भाग लेकर विगत सप्ताह की प्रगति से अं0अ0 को अवगत करायेंगे।

➤सभी श्रम प्रर्वतन पदाधिकारी अगली बैठक से दायर एवं निष्पादित मामलो के संबंध में पूर्व माह का एवं आलोच्य माह का प्रगति प्रतिवेदन अपने साथ लाना सुनिश्चित करेंगे।

न्यूनतम मजदूरी

क0	अंचल का नाम	1.4.2002 को लंवित मामला	2002–2003 में दायर मामला	कुल मामलों की संख्या	निष्पादित मामलों गत माह तक	आलोच्य माह में	कुल	लंवित मामलों की संख्या	प्रतिशत	श्रेणी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	रहिका	16	25	41	13	5	18	23	43%		
2	पंडौल	17	12	29	23	2	25	4	86%		
3	राजनगर	13	0	13	0	0	0	13	0%		
4	खजौली	1	0	1	0	0	0	1	0%		नीलाम पत्र वाद दायर
5	बाबुबरही	7	0	7	5	0	5	2	71%		
6	उ0समा0भू0सु0	3	0	3	0	0	0	3	0%		
7	अनु0पदा0 सदर	71	42	113	0	0	0	113	0%		
योग		128	79	207	41	7	48	159	23%	I	
8	झंझारपुर	0	35	35	8	0	8	27	22%	2	
9	मधेपुर	23	6	29	0	0	0	29	0%	9	
10	लखनौर	1	0	1	0	0	0	1	0%	10	
11	अंधराठाढ़ी	28	5	33	0	0	0	33	0%	11	
12	अनु0पदा0,झंझारपुर	0	0	0	0	0	0	0	0%		
योग		52	46	98	8	0	8	90	8%	V	
13	बेनीपट्टी	7	25	32	2	5	7	25	21%	12	
14	बिस्फी	39	2	41	0	0	0	41	0%	13	
15	मधवापुर	5	15	20	0	0	0	20	0%	14	
16	हरलाखी	3	0	3	3	0	3	0	100%	15	
17	अनु0पदा0,बेनीपट्टी	0	0	0	0	0	0	0	0%		
योग		54	42	96	5	5	10	86	10%	III	
18	जयनगर	9	11	20	4	0	4	16	20%	3	
19	बासोपट्टी	2	0	2	0	0	0	2	0%	16	
20	लदनियाँ	16	1	17	0	1	1	16	5%	17	
21	अनु0पदा0,जयनगर	0	0	0	0	0	0	0	0%		
योग		27	12	39	4	1	5	34	12%	II	
22	फुलपरास	0	0	0	0	0	0	0	0%	18	
23	घोघरडीहा	35	20	55	0	0	0	55	0%	19	
24	खुटौना	88	20	108	7	2	9	99	8%	6	
25	लौकही	23	0	23	0	11	11	12	47%	20	
26	अनु0पदा0,फूलपरास	0	0	0	0	0	0	0	0%		
योग		146	40	186	7	13	20	166	10%	IV	
कुल योग		407	219	626	65	26	91	535	14%		

20. बन्धुआ मजदूरीः–

बन्धुआ मजदूरी से संबंधित पूर्णतः संतोषप्रद नहीं है अतः निम्नांकित निर्देश दिये जाते है।

➤सभी श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सर्वेक्षण कर बन्धुआ मजदूरों को मुक्त कराने हेतु प्रस्ताव शीघ्र अंचल अधिकारी को समर्पित करेंगे।

➤अंचल अधिकारी पहचान किये गये बन्धुआ मजदूरों को मुक्त कराने एवं सरकारी नियमानुसार पुणर्वासित करने की कार्रवाई शीघ्र करेंगे।

➤श्री दीपक कुमार, श्रम प्रर्वत्तन पदाधिकारी, बाबुबरही विगत कई माह से बैठक में अनुपस्थित रहे है। अनुमंडल पदाधिकारी,/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि श्री कुमार विगत बाढ़ के समय भी राहत कार्य से अनुपस्थित रहें है, अतः उनके विरूद्ध सरकार में प्रतिवेदन भेजने हेतु निर्णय लिया गया।

21. भू–दान मामलों का प्रगति प्रतिवेदन

अभी तक कुछ ही अंचलों द्वारा भूदान कार्यालय से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है।

➤सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सम्पुष्टि हेतु लंबित भूमि की सम्पुष्टि कर शीघ्र अंचल अधिकारी को उपलब्ध करा देंगे ताकि वितरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

➤सभी अंचल अधिकारी राजस्व कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति कर भूदान से संबंधित जमीन का हल्कावार प्रतिवेदन प्राप्त कर लें एवं हल्कावार भूदान पंजी एक सप्ताह में तैयार कर लें। 31 दिसम्बर तक अनुपालन सुनिश्चित करें। हल्कावार पूर्ण विवरण अगली बैठक में उपस्थापित करें।

➤भू दान से संबंधित 10 मामले भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,सदर के स्तर पर लंबित है। उन्हें निर्देश दिया जाता है कि 31 दिसम्बर तक निष्पादन सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन दें।

भूदान मामलों का प्रगति प्रतिवेदन :-

क्र0	अंचल का नाम	भूदान से प्राप्त भूमि का रकवा (एकड़ में)	सम्पुष्टि भूमि का रकवा	असम्पुष्टि भूमि का रकवा	वितरित भूमि का रकवा एकड़ में		सम्पुष्टि किन्तु वितरण के अयोग्य भूमि	वितरण हेतु सम्पुष्ट भूमि का रकवा एकड़ में	अभ्युक्ति
					संख्या	रकवा			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	रहिका	190.61	171.87	18.74	867	162.43	3.47	5.97	
2	पंडौल	317.36	280.92	36.44	912	275.00	5.92	0.00	
3	राजनगर	266.88	253.38	19.58	439	198.50	54.83	0.00	
4	खजौली	800.62	800.62	0.00	1851	732.25	2.02	66.35	
5	बाबुबरही	605.68	605.68	0.00	997	497.18	26.10	82.40	
योगः–		2181.15	2112.42	74.76	5066	1865.36	92.34	154.72	
6	झंझारपुर	610.58	610.58	0.00	725	610.58	0.00	0.00	
7	मधेपुर	1337.00	1299.20	37.80	3110	1261.00	38.20	0.00	
8	लखनौर	1432.26	0.00	104.92	2583	1314.20	13.14	0.00	
9	अंधराठाढ़ी	423.9	423.09	0.00	821	398.09	0.00	0.00	
योगः–		**3802.93**	**2331.87**	**142.72**	**7279**	**3583.87**	**51.34**	**0.00**	
10	बेनीपट्टी	1461.23	1209.21	252.02	2623	1122.93	86.28	0.00	
11	बिस्फी	449.26	0.00	0.00	0	139.98	0.00	0.00	
12	मधवापुर	364.34	0.00	14.41	724	283.33	44.59	22.1	
13	हरलाखी	247.17	247.17	0.00	691	247.17	0.00	0.00	
योगः–		**2522.00**	**1456.38**	**266.43**	**4038**	**1793.41**	**130.87**	**22.1**	
14	जयनगर	521.05	451.20	0.00	847	451.20	0.00	69.85	
15	बासोपट्टी	423.97	342.46	81.51	887	342.46	0.00	0.00	
16	लदनियाँ	741.41	652.02	89.39	1702	652.02	0.88	0.00	
योगः–		**1686.43**	**1445.68**	**170.90**	**3436**	**1445.68**	**179.08**	**69.85**	
17	फुलपरास	1052.68	0.00	0.00	0	790.83	4.38	0.00	
18	घोघरडीहा	1052.94	0.00	0.00	0	1048.56	0.00	0.00	
19	खुटौना	2095.66	1966.00	129.66	4306	1966.00	0.00	0.00	
20	लौकही	814.91	0.00	0.00	2728	726.18	183.46	88.73	
योगः–		**5016.19**	**1966.00**	**129.66**	**7034**	**4531.57**	**458.89**	**88.73**	
कुल योग :–		**15208.70**	**9313.35**	**784.47**	**26853**	**13219.89**	**1802.82**	**333.31**	

बटाईदारी मामलों का प्रगति प्रतिवेदन :-

क्र0	अंचल का नाम	1.4.2001 को लंवित मामला		1.4.2001 के बाद दायर मामला		कुल मामलों की		बोर्ड में भेजे गये मामलों की संख्या तीन माह के अंदर	छः माह के अंदर	छः माह से उपर	बोर्ड से वापस प्राप्त मामलों की संख्या		निष्पादित मामलों		लंवित मामलों		अभ्युक्ति
		संख्या	रकवा	संख्या	रकवा	संख्या	रकवा				संख्या	रकवा	संख्या	रकवा	संख्या	रकवा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	रहिका	22	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-
2	पंडौल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	राजनगर	15	2.85	-	-	15	2.85	-	15	-	-	-	-	-	15	-	-
4	खजौली	210	80.26	-	-	210	80.26	-	-	210	-	-	-	-	210	80.26	-
5	बाबुबरही	12	5.30	-	-	12	5.30	-	-	12	-	-	-	-	12	5.30	-
योग(1+2+3+4+5)		259	88.41			259	88.41		15	222					259	85.56	-
6	झंझारपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	मधेपुर	58	-	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	उच्च न्यायालय
8	लखनौर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	अंधराठाढ़ी	-	-	13	7.00	13	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग (6+7+8+9)		58		13	7.00	71	7.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	बेनीपट्टी	1	-	0				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	बिस्फी	47	10.87	-	-	47	10.87	-	-	47	-	-	-	-	47	10.87	-
12	मधवापुर	7	3.80	-	-	7	3.80	-	7	-	6	3.80	6	3.15	1	0.65	-
13	हरलाखी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग (10+11+12+13)		55	14.67	0		54	14.67		7	47	6	3.80	6	3.15	48	11.52	
14	जयनगर	4	1.51	_	-	4	1.51	-	-	-	-	-	-	-	4	1.51	-
15	बासोपट्टी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	लदनियाँ	25	14.25	-	-	25	14.25	-	-	-	-	-	21	11.60	2	2.65	-
योग(14+15+16)		29	15.76	-		29	15.76						21	11.60	6	4.16	-
17	फुलपरास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	घोघरडीहा	-	-	20	18.2	20	18.15								20	18.15	-
19	खुटौना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	लौकही		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग(17+18+19+20)			-	20	18.2	20	18.15								20	18.15	

22. बटाईदारी मामलों का प्रगति प्रतिवेदन :-

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि बटाईदारी मामलों में बार बार निर्देश दिये जाने के बाद भी अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है।

➤ लंबित बटाईदारी मामलों का निष्पादन कैम्प कोर्ट आयोजित कर शीघ्र किया जाय। हल्का पंजी खोल कर दायर मामलों को पंजीबद्ध किया जाय। धारा 48 डी0/48 ई0 के अन्तर्गत लंबित ममलों का निष्पादन शीघ्र किया जाय।

➤ रहिका, राजनगर, खजौली, मधवापुर, खुटौना अंचल में सर्वाधिक मामला लंवित है, जो चिन्ताजनक है। अंचल अधिकारी व्यक्तिगत अभिरुचि लेकर एक माह के अन्दर निष्पादन करेंएवं अनुपालन प्रतिवेदन दें। अनु0पदा0/भू0सु0 उप समाहर्ता अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

23. साहुकार अधिनियम :-

➤साहुकार अधिनियम के अंतर्गत बिना अनुज्ञप्ति के लेने-देने का कारोबार करने वाले व्यक्तियों का सर्वेक्षण करने का निर्देश पूर्व से ही दिया जाता रहा है परन्तु अभी तक न, तो सर्वेक्षण का कार्य ही पूर्ण नहीं किया गया है, और न ही राजस्व कर्मचारियों द्वारा लिखित प्रमाण पत्र ही दिया गया है। जो खेद जनक है। जिस राजस्व कर्म0 द्वारा सर्वेक्षण पूर्ण नहीं किया गया है उनके बारे में अं0अ0 रिपोर्ट करें ताकि उनके विरूद्ध अनुशासनीक कार्रवाई की जा सके। संबंधित अंचल निरीक्षक के विरूद्ध भी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

➤साहुकार अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु गहन सर्वेक्षण कराकर अनुज्ञप्ति निर्गत/नवीकरण की कार्रवाई शीघ्र की जाय।

➤सभी राजस्व कर्मचारी सर्वेक्षण कर अं0नि0 के माध्यम से 31 दिसम्बर तक प्रमाण-पत्र देंगे कि उनके हल्का में कोई साहुकार अनुज्ञप्ति हेतु अवशेष नहीं बचे हुए है।

➤बहुत से सर्वेक्षित मामलें अनु0पदा0 के स्तर पर लंवित पड़े हुए हैं। अतः सभी अनु0 पदा0 शीघ्र निष्पादन कर लौटा देंगे ताकि वसूली की कार्रवाई की जा सके।

साहुकार अधिनियम :-

क्र0	अंचल का नाम	31/03/2002 कुल निबंधित साहुकारें की सं0	1/4/02 के बाद अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की सं0	निष्पादित आवेदन पत्रों की सं0		लंवित आवेदन पत्रों की सं0	कुल अनुज्ञप्ति प्रदत्त साहुकारें की सं0	कितने साहुकारों की पंजी/ कागजातों का निरीक्षण किया गया	अभ्युक्ति
				स्वीकृत	अस्वीकृत				
1	2	3	4	5	6	0	8	9	10
1	रहिका	39	7	7	0	0	46	0	
2	पंडौल	7	2	2	0	0	9	0	
3	राजनगर	7	2	2	0	0	9	0	
4	खजौली	0	0	0	0	0	0	0	
5	बाबुबरही	3	0	0	0	0	3	3	
योग		56	11	11	0	0	67	3	
6	झंझारपुर	12	3	3	0	0	15	10	
7	मधेपुर	11	1	1	0	0	10	5	
8	लखनौर	0	1	1	0	0	1	0	
9	अंधराठाढ़ी	0	0	0	0	0	0	0	
योग		23	5	5	0	0	26	15	
10	बेनीपट्टी	0	0	0	0	0	0	0	
11	बिस्फी	7	1	0	0	1	8	0	
12	मधवापुर	1	0	0	0	0	1	1	
13	हरलाखी	2	0	0	0	0	2	0	
योग		10	1	0	0	1	11	1	
14	जयनगर	4	0	0	0	0	4	3	
15	बासोपट्टी	0	0	0	0	0	0	0	
16	लदनियाँ	0	0	0	0	0	0	0	
योग		4	0	0	0	0	4	3	
17	फुलपरास	0	0	0	0	0	0	0	
18	घोघरडीहा	4	0	4	0	0	4	4	
19	खुटौना	12	0	0	0	0	12	4	
20	लौकही	2	0	0	0	0	2	2	
योग		18	0	4	0	0	18	10	
कुल योग		111	17	20	0	1	126	32	

बेदखली संबंधी प्रतिवेदन :-

क्र0	अंचल का	बेदखली के कुल मामले										कब्जा दिलाये गये										लंवित मामले									
		भू हदबन्दी		भू दान		बासगित पर्चा		सरकारी भूमि		योग		भू हदबन्दी		भू दान		बासगित पर्चा		सरकारी भूमि		योग		भू हदबन्दी		भू दान		बासगित पर्चा		सरकारी भूमि		योग	
	नाम	सं0	रकवा	सं0	रकवा	सं0	रकवा	सं0	रकवा	सं0	रकवा	सं0	रकवा	सं0	रकवा	सं0	रकवा	सं0	रकवा	सं0	रकवा	सं0	रकवा	सं0	रकवा	सं0	रकवा	सं0	रकवा	सं0	रकवा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	रहिका	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2	पंडौल	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
3	राजनगर	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
4	खजौली	शून्य	शून्य	3	0.53	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	3	0.53	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	3	0.53	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	3	0.5
5	बाबुबरही	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त
	योग :–		–	3	0.53	–	–	–	–	3	0.53	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	0.53	–	–	–	–	3	0.5
6	झंझारपुर	शून्य	शून्य	149	83.3	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	149	83.3	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	149	83
7	मधेपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8	लखनौर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9	अंधराठाढ़ी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योग :–	शून्य	शून्य	149	83.3	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	149	83.3	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	149	83
10	बेनीपट्टी	6	2.50	27	3.04	3	0.1	45	1.35	81	6.94	6	2.50	शून्य	शून्य	3	0.05	45	1.35	54	3.90	शून्य	शून्य	27	3.04	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	27	6
11	बिस्फी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12	मधवापुर	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1	शून्य
13	हरलाखी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योग :–	7	2.50	27	3.04	3	0.1	45	1.35	81	6.94	6	2.50	शून्य	शून्य	3	0.05	45	1.35	54	3.90	1	शून्य	27	3.04	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	28	6
14	जयनगर	22	1.6	5	1.66	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	27	3.30	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	22	1.64	5	1.66	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	27	3.30
15	बासोपट्टी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16	लदनियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योग :–	22	1.6	5	1.66	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	27	3.30	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	22	1.64	5	1.66	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	27	3.30
17	फुलपरास	शून्य	शून्य	4	3.03	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	4	3.03	शून्य	शून्य	4	3.03	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	4	3.03	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18	घोघरडीहा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1	1.00	शून्य	शून्य	1	1.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1	1.00	शून्य	शून्य	1	1.00
19	खुटौना	2	0.4	शून्य	शून्य	1	0.10	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2	##	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1	0.10	शून्य	शून्य	1	0.10
20	लौकही	1	0.4	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1	0.36	1	##	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1	0.36	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	योग :–	3	0.7	शून्य	3.03	2	1.10	शून्य	शून्य	6	4.39	3	##	4	3.03	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	5	3.39	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2	1.10	शून्य	शून्य	2	1.10

कृ0 पृ0 उ0

24. बेदखली संबंधी प्रतिवेदन :–

उपर्युक्त ता0 के अवलोकन से स्पष्ट है कि बेदखली मामलों की प्रगति सभी अंचलों में असंतोषप्रद है। अतएव निम्नांकित निर्देश दिये जाते हैं:–

➢जनता दरवार में बेदखली से संबंधित बहुत से मामले आते रहते है। सभी अंचल अधिकारी बेदखली से संबंधित मामलों का निष्पादन शीघ्र कर अनुपालन प्रतिवेदन देंगे। सभी रा0कर्म0 अपने हल्का में जॉच कर अगली बैठक में प्रमाण पत्र देंगे कि उनके हल्का में जितने भी पर्चा दिये गये हैं, उन सभी पर दखल कब्जा है यदि बेदखली का कोई मामला प्रतिवेदित होता है तो शीघ्र दखल दिलाने में एवं बेदखल करने वाले के विरुद्ध हरिजन अत्याचार का मामला दर्ज करेंगे।

➢जितने भी बासगीत पर्चा दिए जाते है, उसके संबंध में स्टेशन डायरी में सूचना अंकित करावें ताकि थाना स्तर से उन्हें उचित संरक्षण दिया जाय।

25. अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन :–

➢अंकेक्षण से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन असंतोषजनक है। अतः निम्नांकित निर्देश दिया जाता है।

➢ अंकेक्षण आपत्ति से संबंधित सभी कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा के साथ अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से भेजा जाय। अगली बैठक में अनुपालन प्रतिवेदन दिया जाय।

➢यदि अंकेक्षण टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है तो किसी पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर वित्त विभाग से एक सप्ताह के अन्दर प्राप्त कर लें। निम्नांकित निर्देशों का पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन नहीं भेजा गया है। अतः निर्देश दिया जाता है।

➢कुछ अं0अधिकारियों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन संबंधित अनु0पदा0 को भेज दिया गया है। अनु0 पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि प्राप्त कंडिकाओं पर अपना स्पष्ट मंतव्य अंकित कर एक सप्ताह के अन्दर जिला कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

26. साहायय् संबंधी प्रतिवेदन :–

➢बाढ़ सहायय् मद में प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र DC विपत्र के साथ 31 दिसम्वर तक जिला सहायय् प्रशाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

➢नाविकों के दावा का भुगतान 31 दिसम्बर तक कर अनुपालन प्रतिवेदन संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी समर्पित करने का निर्देश दिया गय।

➢यदि राशि उपलब्ध नहीं हुई है तो जिला कार्यालय से शीघ्र मांग करें। भुगतान के पूर्व पूर्णतः संतुष्ट हो लें कि संबंधित नाविक द्वारा प्रस्ताव में सरकारी नाव का अधिकृत रूप से परिचालन किया गया है। किसी भी परिस्थिति में फेक नाविक को भुगतान नहीं करें।

27. नीलाम पत्र वाद :-

सभी अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि रजिस्टर **IX** और **X** का मिलान नियमित रूप से नहीं कराया जा रहा है जो चिन्ताजनक है। अतः

➤नीलाम पत्र वादों के निष्पादन हेतु अविलंब कार्रवाई करें। रजिस्टर **IX** को रजिस्टर **X** से मिलान शीघ्र कर लें इससे बहुत से अभिलेखों का निष्पादन हो जाएगा।

➤सैरात एव रेन्ट से संबंधित बकाया राशि जिसका नीलाम पत्र वाद दायर किया गया है के संदर्भ में विस्तृत सूचना अगली बैठक में समर्पित करेंगे। सैरात पंजी एवं पंजी **II** से रजिस्टर **IX** का सर्व प्रथम मिलान करें। ततपश्चात् रजिस्टर **X** से उसका मिलान करावें।

➤नीलाम पत्र वाद में सन्निहित राशि अंचल कार्यालय में जमा किये जाने पर उसकी सूचना अनु0पदा0 सह नीलाम पत्र पदा0 को दी जाय। कोशिश किया जाय कि ऋणि को अनु0कार्या0 में ही राशि जमा करने की सलाह दी जाय।

कई अंचलों के रजिस्टर **IX** के अवलोकन से पाया गया कि इस में सभी सूचनाएँ दर्ज नहीं है बल्कि सादा पंजी का ही मिलान होते आ रहा है। सभी वाद वर्ष 1980.1981से ही लंवित चले आ रहे हैं। अतः निर्देश दिया जाता है कि सर्व प्रथम रजिस्टर **IX** का मिलान अंचल स्तर के पंजी **II** से करें। तत्प्श्चात रजिस्टर **X** से उसका मिलान करावें। इस कार्य हेतु अंचल निरीक्षक/राजस्व कर्म0 की प्रति0 अनु0 पदा0 के यहॉ पंजी **II** के साथ करें। अगली बैठक में अनुपालन प्रतिवेदन दें।

➤जितने भी नीलाम पत्र से संबंधित वाद है उसे एक जगह संधारित कर सूचित करें ताकि जिला स्तरीय पदाधिकारी आकर उसका निष्पादन कराना सुनिश्चित करें।

28. रोकड़ बही :-

➤ पूर्व की बैठकों में निर्देश दिये जाने के बाबजूद रोकड़ वही से संबंधित प्रतिवेदन बैठक में उपस्थापित नहीं किया जा रहा है, जो चिन्ताजनक है। अतः अगली बैठक में विहित प्रपत्र में पूर्ण प्रतिवेदन लावें।

➤ अभिश्रव को वर्षवार/शीर्षवार वर्गीकरण कर कितनी राशि की आवश्यकता है, अगली बैठक में प्रतिवेदित करेंगे ताकि आवंटन की मांग सरकार से किया जा सके।

➤ अस्थायी अग्रीम के समायोजन हेतु शीघ्र कार्रवाई करे एवं अगली बैठक में अनुपालन प्रतिवेदन दें।

29. न्यायालय संबंधी प्रतिवेदन :-

➤ पूर्व की बैठकों में निर्देश दिये जाने के बाबजूद अन्य विन्दूओं पर अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। अतः अगली बैठक में निम्न विन्दूओं पर प्रतिवेदन लाना सुनिश्चित करे।

➤ हल्का कर्मचारी/न्यायालयवार वादों को पंजी संधारित की जाय। तथा अगली बैठक में अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया जाय।

➤ माननीय सर्वोच्य/उच्च्य/निम्न न्यायालय से संबंधित लंवित वादों का प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में भेजा जाय। एक प्रति अगली बैठक में भी समर्पित करें। पूर्ण तथ्य के साथ प्रतिशपथ पत्र तैयार करें एवं अपर समाहर्त्ता/समाहर्त्ता से अनुमोदित करा लें ।

➤कितने वादों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल कर दिया गया है, उसका ओथ न0 क्या है, यदि लंवित है तो उसका क्या कारण है, किस स्तर पर लंवित है, विस्तृत विवरण अगली बैठक में दें।

30. सेवा निवृत कर्मचारियों से संबंधित प्रतिवेदन :–

➢वर्ष 2002.2003 में सेवा निवृत होनेवाले कर्म0 की सूची शीघ्र भेज दिया जाय। (चौकिदार/दफादार सहित)

➢बार–बार निर्देश दिये जाने के बाद भी अभी तक मात्र 80 प्रतिशत कर्मचारियों का ही भ0नि0 कटौती विवरणी भेजी गई है 31 दिसम्बर तक शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कर अगली बैठक में लिखित में सूचित करें।

➢कर्मचारियों द्वारा भविष्य निधि कटौती की विवरणी अभी तक समर्पित नहीं की गई है, उनके वेतन के भुगतान पर अगले आदेश तक रोक लगाई जाती है।

➢सभी अंचल अधिकारी एक सप्ताह में पूर्ण प्रतिवेदन दें कि किन – किन कर्मचारियों के भ0 नि0 कटौती विवरणी , किस पत्रांक /दिनांक से भेज दी गई है यह भी प्रतिवेदित करेगे कि किन – किन कर्मचारियों की विवरणी अभी तक नहीं भेजी गई है और उसका क्या कारण है।

31. विधान सभा/विधान परिषद् प्रश्न :–

➢अंचल से संबंधित सभी लंबित विधान सभा प्रश्नों की मूल प्रति दे दी गई है। केवल झंझारपुर अंचल से आंशिक उत्तर भेजा गया है। सभी अं0 नि0 को निर्देश दिया जाता है कि दिनांक 31/12/2002 तक अनुपालन प्रतिवेदन निश्चित रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा उनके विरूद्ध विधान सभा/विधान परिषद् को प्रतिवेदित कर दिया जायगा।

32. आवश्यक निर्देश :–

इस बैठक के दौरान निम्नांकित निर्देश दिए जाते है।

➢बीस–सूत्री बैठक से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन सूची सहित भेजने का निर्देश दिया जाता है। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी अंचल निरीक्षक की होगी।

➢सैरात वसूली के बकाया राशि के क्रम में अभियुक्ति कॉलम में रेमिशन की राशि को दर्शाया जाय तथा रेमिशन का अभिलेख जो जिला/अनु0 कार्यालय में वर्षवार भेजे गए है के वारे में विस्तृत सूचना पत्रांक/दिनांक सहित जिला कार्यालय को भेजा जाय।

➢सैरात मॉग का पूर्ण सत्यापन हेतु रेमिशन/सर्टिफिकेट की राशि को अभियुक्ति कॉलम में दर्शाया जाय।

➢प्रत्येक हल्का कर्मचारी विभिन्न प्रमाण पत्रों से संबंधित हल्कावार पंजी संधारित करेंगे एवं निर्गत प्रमाण पत्रों को अंकित करेंगे। अगली बैठक में अनुपालन से अवगत करायेंगे। ऐसा पाया गया है कि अधिकांश प्रगति प्रतिवेदन/अनुपालन प्रतिवेदन संबंधित अंचल के अं0 नि0/प्रधान सहायक द्वारा हस्ताक्षरित रहता है जो चिन्ताजनक स्थिति का द्योतक है।

➢प्रगति प्रतिवेदन एवं अनुपालन प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 5 तारिख तक अवश्य भेज दिया जाय। साथ ही सभी अंचल अधिकारी स्वयं जॉचकर ही प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करेंगे एवं प्रतिवेदित करेंगे।

➢अधिकांश अंचलों से खतियान एवं नक्शा की उपलब्धता/कमी संबंधी प्रतिवेदन नहीं भेजा गया है। अतः वांछित प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

➢श्री सुरेन्द्र प्रसाद, रा0 कर्म0,झंझारपुर द्वारा बताया गया कि उनके हल्का में 14 मौजा के विरूद्ध 13 मौजा में खतियान एवं नक्शा उपलब्ध है। श्री प्रसाद का कार्य संतोषप्रद है।

SUB./ANCHAL'S RANK ON THE BASIS OF PERFORMANCE OF IMPORTANT REVNUE DEPARTMENT PROGRAMM . MONTH.NOVEMBER-2002

SL.No.		R.C	S.S	S.C.	C.R.C	K.P	ENC.	MUT.	M.W.	Bonus Marks	Q.M	Total	RANK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	RAHIKA	66.37	98	100	4	18	23.07	100	46	10	4	469.44	4
2	PANDAUL	61.79	58	47	12	18	0	92	85	10	4	387.79	11
3	RAJNAGAR	35.39	91	46	38	31	100	87	30	10	4	472.39	2
4	KHAJAULI	33.87	88	31	55	28	12.50	98	0	10	2	358.37	14
5	BABUBARHI	32.79	90	66	4	30	0	99	71	10	1	403.79	10
SUBDIVISION'S MARK		42.82	86	52	16	24	36.47	97	51	10	15	430.29	III
6	JHANJHARPUR	31.41	81	0	22	42	0	59	37	10	2	284.41	20
7	MADHEPUR	64.99	65	22	12	88	12.50	95	0	10	1	370.49	13
8	LAKHANAUR	56.34	98	42	43	6	0	67	0	0	1	313.34	18
9	ANDHRATHADHI	35.55	100	30	8	6	0	100	0	10	1	290.55	19
SUBDIVISION'S MARK		44.02	100	19	20	44	7.69	77	13	10	5	339.71	V
10	BENIPATTI	63.65	90	46	58	49	92.30	100	22	10	4	534.95	1
11	BISFI	58.43	89	18	35	3	10.71	100	0	10	4	328.14	16
12	MADHWAPUR	49.36	100	38	14	53	85.71	100	0	10	1	451.07	6
13	HARLAKHI	69.18	100	26	43	43	57.14	100	0	10	1	449.32	7
SUBDIVISION'S MARK		60.61	91	30	40	38	45.48	100	10	10	10	435.06	II
14	JAINAGAR	62.99	88	47	30	52	50	99	22	10	10	470.99	3
15	BASOPATTI	60.78	95	11	5	26	78.04	96	0	10	3	384.82	12
16	LADANIYA	22.63	98	59	12	46	100	92	5	10	1	445.63	8
SUBDIVISION'S MARK		44.46	93	35	19	39	75.92	95	14		14	439.38	I
17	PHULPARAS	60.03	86	62	92	7	12.65	96	0	10	2	427.68	9
18	GOGHARDIHA	61.30	80	100	11	36	71.43	84	0	10	2	455.73	5
19	KHUTAUNA	54.64	76	66	17	19	0	100	8	10	1	351.64	15
20	LAUKAHI	51.40	96	23	19	12	0	94	0	10	10	315.40	17
SUBDIVISION'S MARK		71.05	86	32	24	20	44	94	4	10	15	400.05	IV

राजस्व एवं भूमि सुधार कार्यक्रम की महत्त्वपूर्ण योजनाओं के समीक्षोपरान्त प्रतिवेदित भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि के आधार पर निम्न रुपेण अंचलों को माह नवम्बर 2002 के लिए श्रेणीकृत किया जाता है :–

अंचल का नाम	प्राप्त श्रेणी	अंचल का नाम	प्राप्त श्रेणी
2	3	5	6
बेनीपट्टी	1	पंडौल	11
राजनगर	2	वासोपट्टी	12
जयनगर	3	मधेपुर	13
रहिका	4	खजौली	14
घोघारडीहा	5	खुटौना	15
मधवापुर	6	बिस्फी	16
हरलाखी	7	लौकही	17
लदनियाँ	8	लखनौर	18
फुलपरास	9	अंधराठाढ़ी	19
बाबुबरही	10	झंझारपुर	20

तदनुसार अंचल अधिकारी बेनीपट्टी को माह नवम्बर 2002 का सर्वोत्तम एवं अंचल अधिकारी, राजनगर को उत्तम घोषित किया जाता है।

ऑकड़ों के आधार पर राजस्व प्रगति कार्यक्रमों के लिए अनुमंडल की उपलब्धि निम्नरुपेण है:-

अनुमंडल का नाम	प्राप्त श्रेणी	
जयनगर	1	सर्वोत्तम
बेनीपट्टी	2	उत्तम
सदर, मधुबनी	3	संतोषजनक,
फुलपरास	4	असंतोषजनक,
झंझारपुर	5	असंतोषजनक,

राजस्व कार्यक्रमों के लिए श्रेणीकरण की यह व्यवस्था स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा, लगन, ईमानदारी के साथ योजनाबद्ध की गई है।

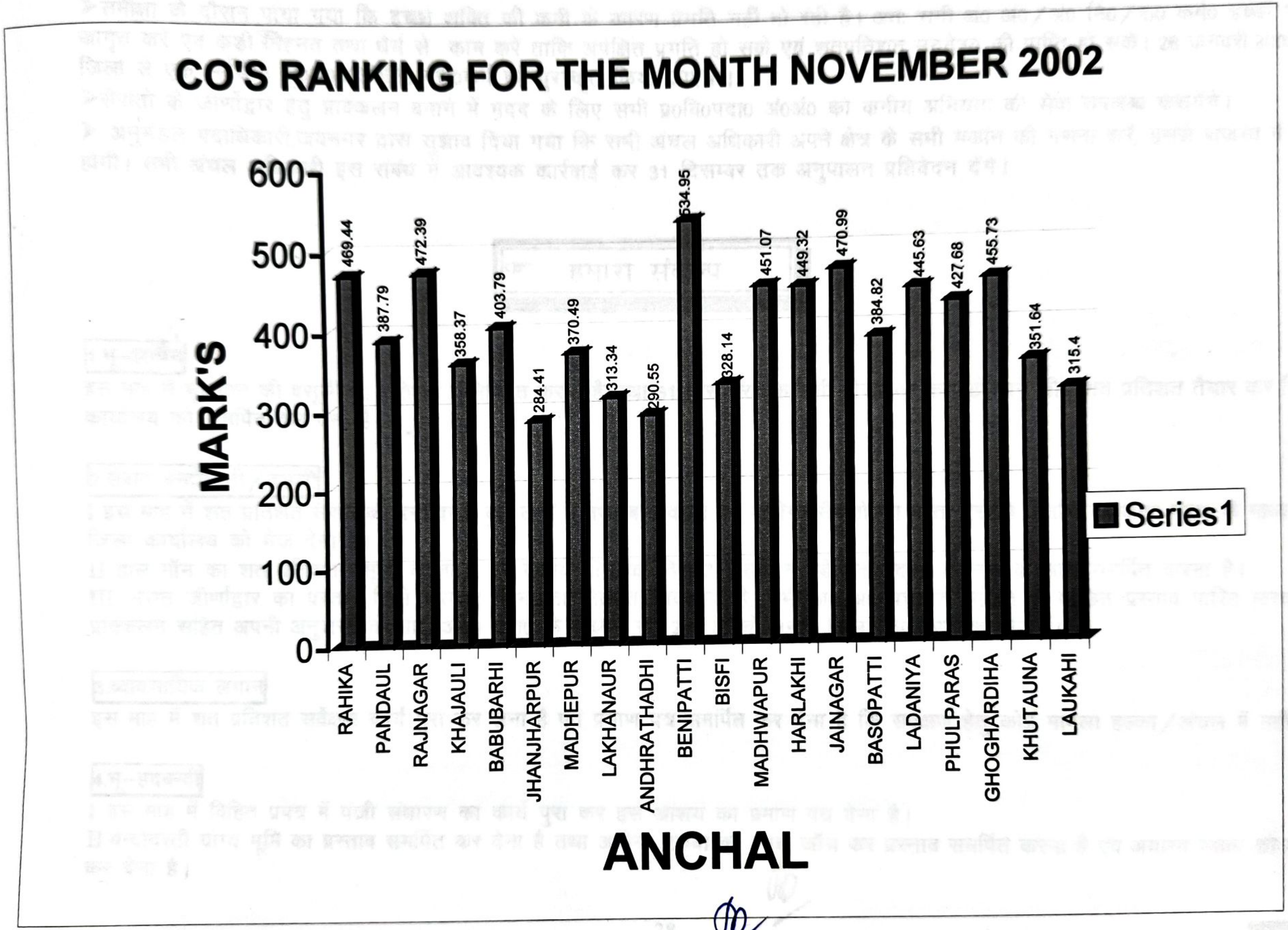
CO'S RANKING FOR THE MONTH NOVEMBER 2002
MARK'S
600
500
400
300
200
100
0
469.44
387.79
472.39
358.37
403.79
284.41
370.49
313.34
290.55
534.95
328.14
451.07
449.32
470.99
384.82
445.63
427.68
455.73
351.64
315.4
RAHIKA
PANDAUL
RAJNAGAR
KHAJAULI
BABUBARHI
JHANJHARPUR
MADHEPUR
LAKHANAUR
ANDHRATHADHI
BENIPATTI
BISFI
MADHWAPUR
HARLAKHI
JAINAGAR
BASOPATTI
LADANIYA
PHULPARAS
GHOGHARDIHA
KHUTAUNA
LAUKAHI
Series1
ANCHAL

33. सुझाव :–

➢समीक्षा के दौरान पाया गया कि इच्छा शक्ति की कमी के कारण प्रगति नहीं हो रही है। अतः सभी अं0 अं0/अं0 नि0/रा0 कर्म0 इच्छा शक्ति जागृत करें एवं कड़ी मेहनत तथा धैर्य से काम करें ताकि अपेक्षित प्रगति हो सके एवं शतप्रतिशत उददेश्य की प्राप्ति हो सके। 26 जनवरी,2003 को जिला से एक सर्वश्रेष्ठ अं0अ0/अं0नि0/रा0कर्म को पुरस्कृत किया जाएगा।

➢सैरातो के जीर्णोद्वार हेतु प्राक्कलन बनाने में मदद के लिए सभी प्र0वि0पदा0 अं0अं0 को कनीय अभियंता की सेवा उपलब्ध करायेंगे।

➢ अनुमंडल पदाधिकारी,जयनगर द्वारा सुझाव दिया गया कि सभी अंचल अधिकारी अपने क्षेत्र के सभी मकान की गणना करें, इससे राजस्व में वृद्धि होगी। सभी अंचल अधिकारी इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर 31 दिसम्बर तक अनुपालन प्रतिवेदन देंगे।

☛ हमारा संकल्प

1.भू–लगान

इस माह में भूलगान की वसूली 80 प्रतिशत सुनिश्चित करना है तथा 31 दिसम्वर तक सभी मौजों का कम्पाईलेशन शीट शत प्रतिशत तैयार कर जिला कार्यालय को समर्पित कर देना है।

2.सैरात बन्दोवस्ती/वसूली

I इस माह में शत प्रतिशत सैरात की बन्दोवस्ती कर लेनी है तथा बन्दोवस्ती हेतु अयोग्य सैरातों का परता प्रस्ताव निर्माण का अनु0 पदा0 के माध्यम से जिला कार्यालय को भेज देना है।

II हाल मॉग का शत प्रतिशत वसूली करना है एवं वकाये मॉग का विस्तृत प्रतिवेदन बड़े बकायेदारों के नाम के साथ समर्पित करना है।

III सैरात जीर्णाद्वार का प्रस्ताव जिसे सरकार में भेजना नितान्त आवश्यक है, सभी अं0 अ0 पंचायत समिति से वांछित प्रस्ताव पारित करवाकर प्राक्कलन सहित अपनी अनुशंसा के साथ अनु0 पदा0 के माध्यम से 24 घंटे के अन्दर जिला कार्यालय को भेजेंगे।

3.व्यावसायिक लगान

इस माह में शत प्रतिशत सर्वेक्षण कार्य पुरा कर लेना है एवं प्रमाण पत्र समर्पित कर देना है कि सर्वेक्षण हेतु कोई मामला हल्का/अंचल में नहीं है।

4.भू–हदबन्दी

I इस माह में विहित प्रपत्र में पंजी संधारण का कार्य पुरा कर इस आशय का प्रमाण पत्र देना है।

II बन्दोवस्ती योग्य भूमि का प्रस्ताव समर्पित कर देना है तथा अयोग्य रकवा का स्थल जॉच कर प्रस्ताव समर्पित करना है एवं अयोग्य रकवा को शून्य कर देना है।

5.गैरमजरूआ आम/खास

I इस माह में सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लेना है।

II कम से कम एक एकड़ भूमि का प्रस्ताव प्रत्येक हल्का से सुयोग्य श्रेणी के साथ बन्दोवस्ती हेतु देना है, अन्यथा यह प्रमाण पत्र देना है कि उनके हल्का में बिहार सरकार की जमीन बन्दोवस्ती हेतु अवशेष नहीं है।

6.जनता दरबार

जनता दरबार में प्राप्त सभी लंबित आवेदन पत्र का जॉच प्रतिवेदन/अंतरिम प्रतिवेदन अविलम्ब जिला कार्यालय को भेज देना है।

7.खाता अभिधारी पुस्तिका

इस माह में प्रत्येक हल्का में एक–एक राजस्व ग्राम का खाता अभिधारी पुस्तिका का वितरण करना है।

8.वासगीत पर्चा

वासगीत पर्चा पाने योग्य सभी प्रश्रय प्राप्त व्यक्तियों का सर्वेक्षण इस माह में कर लेना है, तथा सभी हल्का से कम से कम पॉच–पॉच वासगीत पर्चा का प्रस्ताव इस माह में समर्पित कर देना है अन्यथा यह प्रमाण पत्र देना है कि हल्का/अंचल में कोई प्रश्रय प्राप्त रैयत वासगीत पर्चा पाने योग्य लंबित नहीं है।

9.अतिक्रमण

I इस माह में अतिक्रमण संबंधी मामले का अपने–अपने हल्का में सर्वेक्षण कर सभी अतिक्रमित जमीन का नापी करवाकर इसे खाली कराना है।

II पूर्व से निष्पादन हेतु अवशेष वाद में से अतिक्रमण हटाकर लंबित वादों की संख्या शून्य कर देनी है।

III सभी हल्का/अंचल द्वारा प्रमाण पत्र समर्पित कर देना है कि अतिकमित क्षेत्र अब सर्वेक्षण हेतु लंबित नहीं है।

10.दाखिल खारीज

प्रत्येक हल्का में इस माह में कैम्प/ शिविर आयोजित कर सभी अंचल में कम से कम 500 मामलों का निष्पादन करना है।

11.न्यूनतम मजदूरी/बंधुआ मजदूरी

I सभी श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, लंबित वादों का निष्पादन सुनिश्चित करेंगे।

II सर्वेक्षणोपरान्त यह प्रमाण पत्र समर्पित करेंग कि उनके क्षेत्राधिकार में सभी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दी जाती है एवं वर्तमान न्यूनतम मजदूरी का प्रचार प्रसार कर आमलोगों को अवगत करायेगे।

III बंधुआ मजदूरों के सम्बन्ध में इस माह में सर्वेक्षण कार्य पूरा कर अलग से प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

12.बेदखली

I भूदान, वासगीत,बन्दोवस्ती, भू–हदबन्दी के पर्चाधारी को दखल कब्जा दिलाने का कार्य पूरा कर लेना है।
II अनुसूचित जाति के पर्चाधारी के बेदखली के मामलें में दखल कब्जा सुनिशित कराते हुए अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम की सुसंगत धाराओ के अर्न्तगत प्राथमिकी भी दर्ज कराना है।

13.विधान सभा/लोक सभा प्रश्न

लंबित सभी विधान सभा/लोक सभा की प्रश्नोत्तर सामग्री जिला कार्यालय को अविलम्ब भेज देना है।

14.अंकेक्षण

अंकेक्षण दल द्वारा दर्शाये गये आपत्ति विन्दुओं का अनुपालन प्रतिवेदन अविलंब भेजना सुनिश्चित करेंगे तथा यह प्रमाण पत्र देगे की अनुपालन प्रतिवेदन भेजना कोई लंबित नहीं है।

15.सामान्य भविष्य निधि

इस माह में निश्चित रूप से अपना–अपना अद्यतन कटौती विवरणी अंचल अधिकारी के माध्यम से जिला भविष्य निधि कार्यालय, मधुबनी को भेजना है, तथा सभी अंचल अधिकारी को यह प्रमाण पत्र देना है कि चौकीदार/दफादार सहित सभी कर्मचारियों का सामान्य भविष्य निधि में की गई कटौती की विवरणी शत प्रतिशत जिला कार्यालय को भेजा जा चुका है।

कृषि सांख्यिकी

कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक माना जाता हैं। फसल के अनुसार कृषि वर्ष को चार मौसमों में बॉटा गया है–

1. भदई
2. अगहनी
3. रब्बी
4. गरमा

जिस मौसम में जिन फसलों की बोआई तथा कटनी होती है उन्हें उसी मौसम का फसल कहा जाता है।

मौसम का नाम	अवधि
1. भदई –	1 जुलाई से 15 सितम्बर तक
2. अगहनी –	16 सितम्बर से 30 नवम्बर तक

3. रब्बी – 1 दिसम्बर से 31 मार्च तक
4. गरमा – 1 अप्रैल से 31 मई तक

राज्य के कितने क्षेत्र में कौन सी फसल उपजाई जाती है, उसके आँकड़े तैयार करने के लिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक मौसम में राजस्व कर्मचारी अपने हल्के के क्षेत्र सर्वेक्षण करें। कर्मचारी अपने–अपने हल्के में प्रत्येक कीते की जाँच करते हैं, और परिणाम एक पंजी में लिखते हैं, जिसे खेसरा पंजी कहा जाता है। प्रतिवर्ष जून के महीने में कर्मचारी अपने हल्के के प्रत्येक गाँव के लिए अलग–अलग नई खेसरा पंजी तैयार करते हैं और पहली जुलाई से आरम्भ होने वाले कृषि वर्ष में उसका उपयोग करते है। राजस्व कर्मचारी प्रत्येक मौसम में गाँव का सर्वेक्षण पूरा होते ही खेसरा पंजी के प्रत्येक पृष्ट का फसल क्षेत्रफल, सिंचित, असिंचित क्षेत्र आदि का जोड़ निकालते हैं और पंजी के अन्त में पृष्टवार क्षेत्रफल आदि लिखते हैं। अन्त में प्रत्येक गाँव के पूरे फसल क्षेत्रों के योगफल अंकित किए जाते हैं। इसी के आधार पर प्रत्येक मौसमों का जिन्सवार तैयार किया जाता हैं। कर्मचारी को फसल क्षेत्र निकालने के लिए निम्न तरीका अपनाते हैं:–

लम्बाई (कड़ियों में) X चौड़ाई (कड़ियों में) = वर्ग कड़ी = डिसमल

उदाहरण – अगर किसी खेत की लम्बाई 150 कड़ी आरैर चौड़ाई 55 कड़ी हो तो इसका क्षेत्रफल

150 X 55 = 8250 वर्ग कड़ी होगा।

अब इस 8250 वर्ग कड़ी में 1000 से भाग देने पर 8200/1000 = 8 डीसमल

(250 वर्ग कड़ी छोड दें)

जहाँ क्षेत्रफल 500 वर्ग कड़ी से अधिक होगा उसे 1 डिसमिल मान लें।

उदाहरण – लम्बाई 160 कड़ी चौड़ाई 60 कड़ी क्षेत्रफल 160 X 60 = 9600/1000 = 9.6

–जिन्सवार–

1. सामान्य जिन्सवार सभी गाँव के लिए
2. द्रुत जिन्सवार 20 % गाँवों के लिए।

सम्पूर्ण आगमन पद्धति के आधार पर विभिन्न फसल मौसमों मे क्षेत्रफल तथा उत्पादनके आँकड़े समय पर उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। फसल तैयार होने के पूर्व ही राज्य–सरकार के तथा केन्द्रीय सरकार को अपनी खाद्य नीति के निर्धारण तथा अन्य प्रशासनिक कामों के लिए प्रत्येक फसल मौसम में मुख्य–मुख्य फसलों के क्षेत्रफल तथा उत्पादन के आँकड़ों की उपलब्धि के लिए वर्तमान प्रशासन प्रणाली में समुचित व्यवस्था नहीं हैं ऐसी परिस्थितियों में फसल कटनी के बहुत
पूर्व हीं मुख्य–मुख्य फसलों के क्षेत्रफल के विश्वसनीय आँकड़े प्राप्त करने के उद्देश्य से ही द्रुत सर्वेक्षण योजना को भारत सरकार इस राज्य में भी लागू किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक मौसम में फसल बोआई के तुरत बाद ही उत्पादन का अनुमान लगाना है। सम्पूर्ण आगणन पद्धति के प्रतिकुल इस योजना के अन्तग्त राज्य के प्रत्येक अंचल के 20 प्रतिशत गाँवों में मुख्य–मुख्य फसलों का सर्वेक्षण कार्य कार्य करना है। ये गाँव न्यादश विधि से पाँच वर्षों के लिए चुने जाने हैं। दूसरे शब्दों में पाँच वर्षों की अवधि में प्रत्येक अंचल का पूर्ण सर्वेक्षण सम्पन्न करना हैं। चुने गये गाँवों

कृ0 पृ0 उ0

R/TCP NOV 02 NIC

की सूची जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा अंचल पदाधिकारी को उपलब्ध कराई जानी है। कृषि सांख्यिकी से संबंधित प्रायः सभी काम जैसे क्षेत्रफल सर्वेक्षण तथा फसल कटनी प्रयोग इन्हीं चुने गए गाँवों में सम्पादित करना है।

द्रुत सर्वेक्षण योजना अर्न्तगत जिन्सवार प्रतिवेदन प्रेषण की तिथि :–

(Timing Reporting scheme)

कमांक	मौसम का नाम	सर्वेक्षण की अवधि राजस्व कर्मचारियों द्वारा	कर्मचारीयों द्वारा अंचलों में जिन्सवार देने की तिथि	अंचलों से जिला सांखियकी कार्यालय में प्रतिवेदन भेजने की तिथि	जिला सांख्यिकी कार्यालय से निदेशालय प्रेषण की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	भदई	10 जुलाई से 20 जुलाई	25 जुलाई	31 जुलाई	5 अगस्त
2	अगहनी	20 सितम्बर से 30 सितम्बर	5 अक्टुबर	10 अक्टुबर	15 अक्टुबर
3	रब्बी	10 जनवरी से 20 जनवरी	25 जनवरी	30 जनवरी	5 फरवरी
4	गर्मा	25 अप्रैल से 5 मई	10 मई	15 मई	20 मई

सामान्य जिन्सवार प्रतिवेदन प्रेषण की तिथि :–

कमांक	मौसम का नाम	सर्वेक्षण की अवधि राजस्व कर्मचारियों द्वारा	कर्मचारीयों द्वारा अंचलों में जिन्सवार देने की तिथि	अंचलों से जिला सांखियकी कार्यालय में प्रतिवेदन भेजने की तिथि	जिला सांख्यिकी कार्यालय से निदेशालय प्रेषण की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	भदई	10 जुलाई से 10 सितम्बर	15 सितम्बर	25 सितम्बर	10 अक्टुबर
2	अगहनी	20 सितम्बर से 30 नवम्बर	5 दिसम्बर	15 दिसम्बर	30 दिसम्बर
3	रब्बी	10 जनवरी से 31 मार्च	15 अप्रैल	25 अप्रैल	10 मई
4	गर्मा	25 अप्रैल से 31 मई	5 जून	15 जून	30 जून

उपज दर अनुमान

फसलों उपजदर निकालने के लियेदो विधियाँ अपनाई जाती है–

1. फसल कटनी प्रयोग
2. नेत्रांकन

कटनी प्रयोग :–

किसी भी फसल की उपज दर के अनुमान निकालने का वैज्ञानिक ढ़ंग फसल कटनी प्रयोग है। यह प्रयोग समसंभावित न्यार्दश रीति से सम्पन्न किया जाता है। राज्य भर में किस वर्ष कितने कटनी प्रयोग किस फसल पर कराये जायेंगे, इसकी संख्या खाद्य एवं कृषि मंत्रालय भारत सरकार के परामर्श से निर्धारित की जाती है। अंचल/प्रखंड में कम से कम चालिस प्रयोग होने लायक फसल क्षेत्रफल पड़ता है, उसे कटनी प्रयोग के लिए चुना जाता है। इस प्रकार प्रत्येक जिले के प्रत्येक अंचल/प्रखंड में कम से कम दस गाँवों में फसल कटनी प्रयोग आयोजित किए जाते है। केवल वही अंचल कटनी प्रयोग के लिये चुना जाता है जिसमें कम से कम 20 (बीस) प्रयोग होने योग्य भूमि में फसल लगी हो। अंचलों का चुनाव कर लेने पर उनमें से गाँवों का चुनाव समसंभाविक न्यादर्श रीति से किया जात है । अंचलों का चुनाव तथा उन अंचलों में कितने गाँवों में कटनी प्रयोग करने है,इससे संबंधित कार्य सांख्यिकी निदेशालय द्वारा उपर्युक्त रीति से किया जाता है तथा इसकी सूचना जिला ससांख्यिकी पदाधिकारी को दी जाती हैनिर्धारित मात्राा में वैसे गाँवों का चुनाव करते हैं। जहाँ संबंधित फसल उपजाई गई है। गाँवों के चुनाव के लिये समसंभाविक संख्या प्रयोग में लायी जाती है तथा अन्तिम रूप से चुने गये गाँवों की सूची, कमानुसार जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा सांख्यिकी निदेशालय को प्रेषित की जाती है। अंचल निरीक्षक नियत तिथि को गाँव का निरीक्षण करते हैं तथा अनुदेशानुसार कीतों में कटनी क्षेत्र निर्धारण कर सूचना देते हैं।

आवश्यक निर्देश

कटनी प्रयोग के लिए खेसरा संख्याओं का चुनाव :–

प्रत्येक चुने गए गाँव के सामने दो समसंभाविक संख्याएँ दी जाती है, जिनके आधार पर प्रयोग के लिए कीतों का चुनाव किया जाता हैं।चुनाव के लिये निम्नांकित विधि अपनाई जाती है–

दी गई समसंभाविक संख्या चुने गए गाँव की उच्चतम खेसरा से छोटी, उसके बराबर या उससे बड़ी हो सकती है। अगर समसंभाविक संख्या छोटी अथवा बराबर हुई, तो समसंभाविक संख्या वाली खेसरा संख्या को ही प्रयोग के लिये चुना जाता है। परन्तु अगर समसंभाविक संख्या गाँव की उच्चतम खेसरा संख्या से बड़ी हुई, तो उसमें गाँव की उच्चतम खेसरा संख्या से भाग देने पर जो शेष संख्या बचती है, वही वह खेसरा संख्या चुना जायेगा। यदि शेष शून्य हो जाता है, अर्थात् समसंभाविक संख्या में उच्चतम खेसरा संख्या से पूरा–पूरा भाग लग जाता है तो उच्चतम खेसरा संख्या को ही कटनी प्रयोग के लिए चुना जाता है।

उदाहरण–मान लें कि रामपटट्री गाँव धान पर कटनी प्रयोग के लिये चुना गया तथा उसकी उच्चतम खेसरा संख्या मान लें 1253 है। यह भी मान लें कि खेसरा संख्याओं के चुनाव के लिये दो समसंभाविक संख्या–839 तथा 5012 दी गई है।

R TCP NOV 02 NIC

अब हम देखते हैं कि प्रथम समसंभाविक संख्या–839 उच्चतम खेसरा संख्या 1253 से छोटी है। अतः नियमानुसार प्रथम प्रयोग के लिये 839 खेसरा ही चुनी जायगी। दूसरी समसंभाविक संख्या 5012 गाँव की उच्चतम खेसर संख्या 1253 से बड़ी है। अतः 5012 में 1253 से भाग देंगे, शेष चुँकी शून्य होगा, इसलिये सबसे बड़ी संख्या अर्थात् ,खेसरा संख्या 1253 को ही दूसरे प्रयोग के लिये चुना जायेगा। मान लेते हैं चुने गये खेसरा में धान का फसल नहीं लगा हो तो उस खेसरा को छोड़ देते हैं तथा उससे आगे के (उच्चतम खेसरा) खेसरा में जाते है जहाँ धान लगा हुआ है। उसी को अंतिम रूप से कटनी प्रयोग के लिये चुनते हैं। खेसरा को चुनाव होने के पश्चात् कट कर का आकार निर्धारित करते हैं।

उदाहरण–मान लें की कीतों के कृषकों से पूछने पर पता चलता है कि 839 में धान लगा है, और उसमें प्रयोगात्मक खंड भी सुगमता से निर्धारित किया जा सकता है, परंतु 1253 में मकई फसल बोई गई है। चूँकि हमें धान पर प्रयोग करना अभीष्ट है, इसलिए इसे छोड़ दिया जायगा और इसके बाद वाली सबसे बड़ी खेसरा संख्या जिसमें धान लगा हो तथा प्रयोगात्मक खण्ड सुगमता से निर्धारित किया जा सकता हो, खोजना पड़ेगा। परन्तु 1253 गाँवों की उच्चतम खेसरा संख्या है। इसलिए खेसरा संख्या–1 से खोज आरम्भ करनी होगी। मान लें कि खेसरा संख्या–1 में धान लगा है, परन्तु उसमें विहित आकार का खण्ड निर्धरित नहीं किया जा सकता है, तब उसे भी छोड़ देना पड़ेगा। मान लें खेसरा संख्या 2 में धान लगा है और उसमें विहित आकर का खण्ड निर्धारित किया जा सकता है। तब उसी को प्रयोग के लिए चुना जायेगा। इस प्रकार रामपट्टी गॉव में धान प्रयोग के लिए अंतिम रूप से चुनी गई खेसरा संख्याएँ 839 तथा 2 होगा।

प्रयोगात्मक खण्ड का निर्धारण

चुने गये कीते पर पहुँचने पर उसके ऐसे कोने को खोजा जाता है, जहाँ उतर की ओर मूँह करके खड़े होने पर फसल सामने और दाहिनी ओर पड़े। कीते का यही कोना (दक्षिण–पश्चिम) आरम्भ बिन्दु होता है।

अब बिन्दु से शुरू कर बड़ी भुजा की ओर से खेत की लम्बाई ओर छोटी भुजा की ओर से खेत की चौड़ाई डेगों में नाप ली जाती है। तथा फसलों के अनुसार जो साइज कट रहता है, उस आकार में नापते हैं।

कट का आकार दो प्रकार के होते हैः–

(क) 10 मीटर **X** 5 मीटर

(ख) 5 मीटर **X** 5 मीटर

जब 10 मी0 **X** 5 मी0 के आधार का खण्ड बनाना होता है तो खेत की लम्बाई से 13 चौड़ाई से 7 घटाकर कमशः शेष निकाला जाता है। फिर उपरोक्त समसंभाविक संख्या के स्तम्भ से उपयुक्त अंकों की संख्याओं से ऐसी दो संख्यायें चुनी जाती है, जो प्राप्त लम्बाई तथा चौड़ाई के शेषों से अधिक न हों अब लम्बाई के लिये प्राप्त समसंभाविक संख्या के अनुसार कीते के प्रारम्भ संख्या विन्दु से लम्बाई की दिशा में उतना ही डेग चलकर रूक जाते हैं, जितना चौड़ाई के लिए समसंभाविक संख्या प्राप्त हुई है। यही प्रयोगात्म खण्ड का दक्षिण–पश्चिम कोना होता है। इस बिन्दु पर एक सीधा लम्बा खूँटा गाड़ देते हैं।इस बिन्दु से लम्बाई 10 मीटर की दूरी नापते हैं तथा वहाँ भी एक खुँटा गाड़ देते है। इस बिन्दु से चौड़ाई 5 मीटर सीधी दूरी नापते है और खण्ड का तीसरा कोना इस तरह निकालते है। प्रारम्भ बिन्दु से इस बिन्दु के बीच कर्ण की लम्बाई 11.18 मीटर हो अब तीसरे कोने से लम्बाई की दिशा में समानान्तर रूप 10 मीटर नापते हैं और खण्ड का चौथा कोना ऐसा निकालते हैं कि दूसरे कोने से चौथे कोने के कर्ण की दूरी 11.18 मीटर हो। इस तरह 10 मी0 **X** 5 मी0 का एक आयत तैयार हो जाता है। इस आयत को चारों खुँटों के सहारे चिन्हित कर इसके भीतर पड़ वाले फसल का कटनी करते हैं।

कीते का चुनाव कर लेने के बाद कृषकों का नाम, कटनी की तिथि की सूचा कटनी से दस दिन पूर्व जिला सांख्यिकी की पदाधिकारी, कार्यालय मधुबनी को मिल जानी चाहिए, ताकि जिला स्तरीय पदाधिकारी निरीक्षण कर सकें।

कृ0 पृ0 उ0

प्रयोग कर्ताओं में कुल आवंटित प्रयोगों का 50 प्रतिशत प्रयोग का सम्पादन अंचल निरीक्षक करेंगे। शेष 50 प्रतिशत प्रयोग में 25 प्रतिशत प्रयोग प्र0 सां0 पर्य0 एवं 25 प्रतिशत प्रयोगों का सम्पादन प्र0 कृ0 पदा0 करेंगे।

कटनी के पश्चात् दस दिनों के अन्दर निश्चित रूप से अनुसुची जिला सांख्यिकी कार्यालय को भेजना आवश्यक है।

नोटः– सभी बीमित फसलों का उपज दर निकाल कर कृषकों को उनके बीमित फसलों की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है। अतः आवश्यक है कि अंचल/प्र0 सां0 पर्य0/एवं प्र0 कृ0 पदाधिकारी कटनी प्रयोग के गुणवता एवं समय सीमा को ध्यान में रखते हुए अनुसूचियों का प्रेषण सुनिश्चित करेंगे। समय पर अनुसूची प्राप्त नहीं होने पर इसकी पूर्ण जिम्मेबारी उनपर होगी।

धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

Rajendra 26/12/2002

ज्ञापांक 2504/ रा0, मधुबनी दिनांक 26 वी दिसम्बर, 2002 ई0।

समाहर्त्ता
मधुबनी

प्रतिलिपि :– सभी अनुमंडल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/अंचल अधिकारी/अंचल निरीक्षक/राजस्व कर्मचारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता, मधुबनी/प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला राजस्व प्रशाखा, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल दरभंगा की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, एवं सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

Rajendra 26-12-2002

समाहर्त्ता
मधुबनी